सीटू जनरल काउंसिल का आह्वान

- अधिनायक वाद के खिलाफ संघर्ष करो
- मजदूर एकता मजबूत करो
- साम्राज्यवादी साजिशों को बेनकाब करो
- जनतंत्र की रक्षा करो
- फूटपरस्त ताकतों को शिकस्त दो
- विश्व शांति के लिए संघर्ष करो

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर तक संपन्न सीटू जनरल काउंसिल की बैठक ने इंदिरा कांग्रेस सरकार की तानाशाही की मुहिम से जनतंत्र की रक्षा करने और शासक वर्ग के चौतरफा हमलों का मुकाबला करने के लिए मजदूर वर्ग की एकता और मजबूत करने का आह्वान किया है. सीटू जनरल कांउसिल ने देश के मजदूर वर्ग से यह अपील भी की है कि वह फूटपरस्त व पृथकतावादी ताकतों तथा देश के टुकड़े करने की साम्राज्यवादी साजिशों का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर मैदान में आए और मजदूर वर्ग तथा उसकी एकता की रक्षा की ही नहीं, बल्कि देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करें.

सीटू जनरल कांउसिल की बैठक पहले 24 से 26 अगस्त तक होनेवाली थी. लेकिन इंदिरा कांग्रेस द्वारा आंध्र प्रदेश में एन टी रामाराव की सरकार गिराए जाने से पैदा हुई अप्रत्याशित स्थिति के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया था ताकि 25 अगस्त के "जनतंत्र बचाओ दिवस" के आयोजन में सीटू पूरी तरह शरीक हो सके.

निम्नलिखित कामरेडों, जिन्होंने इस बैठक में उपस्थित रहने में अपनी असमर्थता जाहिर किए थे उन्हें बैठक ने अनुमति दिया.

मनोरंजन राय कृष्णपद घोष, अहिल्या रांगनेकर, एस आई कोल्हाटकर, सुशीला गोपालन, मैथिली शिवरमण. बी. पी. चितन, हरिदास मलाकार, पी. टी. संवंदम के. के. राय गांगुली आनंद पाठक, एन. बी. भास्कर राव, शांति गटक, अजेय राउत रवीन मजूमदार, पी. सत्यनारायण, के. रमाणी अमल-घोष दस्तिदार, संतोष दत्त, हाराधन भा लक्ष्मण वागदी, सुजित दास, अर्धेन्दु बाक्सी, राधिका रंजन बनर्जी, बाला जी दास, बी. पी. मुखर्जी, बी. भट्टाचार्य तथा पी. एल मानकर त्रिपुरा राज्य कमेटी की ओर से बैठक में किसी के उपस्थित न रह पाने की भी तार मिली. जेल में रहने के कारण टी. के. रंगराजन बैठक में उपस्थित नहीं हो सके.

बैठक जयपुर के परमानंद हाल में हुई जिसे कामरेड दुर्गादास शिराली की याद में दुर्गादास शिराली नगर नाम दिया गया था.

सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे के सीटू का झंडा फहराने तथा उन्हीं के नेतृत्व में शहीद स्तंभ पर जनरल कांउसिल सदस्यों द्वारा फूल मालाएं चढ़ाए जाने के बाद बैठक की कार्रवाई शुरू हुई. सीटू के राजस्थान राज्य कमेटी अध्यक्ष, कृष्णकांत वर्मा ने जनरल कांउसिल सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि किस प्रकार पहले के सुधारवादी तमाम समझौतावादी नेतृत्व से अलग होकर वर्ग संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए राज्य में सीटू ने प्रगति की है और शासकों का बर्बर दमन तथा फूटपरस्तों की साजिशें उसकी प्रगति को रोकने में नाकाम रही हैं.

इसके बाद कामरेड बी टी रणदिवे ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया. (पिछले अंक में प्रकाशित किया गया है).

कामरेड समर मुखर्जी ने शहीदों के प्रति तथा दिवंगत कामरेड यूरी आंद्रोपोव एवं सीटू के दिवंगत नेताओं कामरेड सुधीन कुमार (उपाध्यक्ष), पी. के कुर्यें (कार्यकारिणी सदस्य), डी डी शिराली, निरोद चक्रवर्ती तथा ऋषि बनर्जी के प्रति भावभिनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कई प्रस्ताव पेश किए. बैठक ने, इसके पश्चात्, प्रस्ताव समिति तथा क्रिडेंसियल कमेटी बनाई जिनके सदस्य थे:

प्रस्ताव समिति: पी. के. गांगुली (संयोजक), के. एन. रवीन्द्र नाथ, चित्तव्रत मजूमदार, बिरेन राय, ए.क. पद्मानाभन तथा पी सांझगिरि क्रिडेंशल कमेटी : काली घोष (संयोजक), एन. पद्म लोचन तथा पी. आर. कृष्णन

सदस्यता जांच के सवाल पर

एम. के. पंधे ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्यता के सत्यापन के प्रश्न पर एक नोट रखा जिसमें इस मामले में स्थिति स्पष्ट की गई थी. सरकार द्वारा स्वीकृत यह प्रक्रिया इंटक को संरक्षण देने का ही एक और प्रयास है. इसलिए नीति के तौर पर सीटू गुप्त मतदान प्रणाली की मांग करती रही है जिसको सरकार एवं इंटक दोनों ने विरोध किया. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय अभियान समिति के घटकों द्वारा इस जांच प्रक्रिया में बदलाव लाने का सुझाव पेश किया गया है. रिपोर्ट के समर्थन में अपना वक्तव्य रखते हुए नृपिह चक्रवर्ती ने बताया कि केन्द्र सरकार ने फुड कार्पोरेशन आॅफ इंडिया में चेक-आफ प्रणाली (वेतन से ही यूनियनों की चंदा वसूलना) के जरिए यूनियनों को मान्यता दिए जाने की पद्धति शुरू कर

चुकि है. इसलिए सीटू यूनियनों के लिए समय पर सम्बद्धता शुल्क भेजना तथा वार्षिक विवरणी पेश करना बहुत ही जरूरी हो गया है. इस पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि सीटू से सम्बद्ध सभी यूनियन अपने रिकार्ड चुस्त-दुरुस्त रखेंगे ताकि सरकार सीटू की उपेक्षा न कर पाय और विभिन्न समितियों में सीटू को प्रतिनिधित्व देने में बाध्य हों.

महासचिव की रिपोर्ट

सीटू महासचिव कामरेड समर मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में इंदिरा प्रशासन की तानाशाही मुहिम के बारे में विस्तार-पूर्वक चर्चा करते हुए बताया कि फारूख अब्दुल्ला तथा एन.टी. रामाराव की सरकारों को असंवैधानिक रूपसे गिराए जाना कांग्रेस (आई) सरकार की जनवादी संस्थानों को बर्बाद करने तथा जनमत को कुचलने की मुहिम को ही दिखाता है. इंदिरा गांधी के शह पर राष्ट्रपति प्रणाली पर चर्चा छेड़ना जन-तांत्रिक वसूलों को तथा संसदीय लोकतंत्र को ध्वंस करने के ही एक और नंगा साजिश है. इन अधिनायकवादी मंसूबों को फिल-हाल जनता की एकजुट देशव्यापी कार्रवाई के जरिए रोकना संभव हुआ पर इसके खिलाफ मजदूरवर्ग को सजग रहना लाजिमी है. जनतंत्र की रक्षा करने तथा तानाशाही ताकतों को शिकस्त देने के लिए एकजुट संघर्ष को तेजी से आगे बढ़ाना होगा. पंजाब और असम की घटनाएं देश को टुकड़े टुकड़े करने की अमरीकी साम्राज्यवादी और उनके सहयोगियों के साजिशों को ही बेनकाब किया है.

कांग्रेस(आई) सरकार की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वह न केवल देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने में ही असफल रही बल्कि अपने संकीर्ण चुनावी स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय अखण्डता तक को दांव पर लगाकर उन फूटपरस्त और पृथकतावादी ताकतों से सांठ-गांठ की. उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि मजदूरवर्ग के बीच इस संदेश को वह पहुंचा दें कि उन्हें फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ तथा साम्राज्यवादी साजिशों को बेनकाब करने के लिए, लोगों को एकबद्ध करने की जिम्मेदारी को निभाना होगा. बढ़ते तालाबन्दी व मिलबन्दीरूपी अत्याचार तथा हड़ताल के अधिकार का हनन के लिए अपनाए जा रहे काले कानूनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार की मजदूर-विरोधी व इजारेदारपरस्त नीतियों को ही दिखाता है. सीटू की पहल पर राष्ट्रीय अभियान समिति के झण्डे तले चलाये गए संयुक्त संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सीटू की स्वतन्त्र गतिविधियों को बढ़ाते हुए ट्रेड यूनियनों और मेहनतकशों के और भी व्यापक हिस्से को लामबन्द करने का आह्वान किया ताकि पूंजीवादी-भूस्वामी सरकार के खिलाफ उनके बढ़ते रोष को वाम-जनवादी ताकतों को शक्तिशाली बनाने के काम में लाया जा सके. कन्फेडरेशन बनाने की सीटू के आह्वान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इससे मजदूर एवं जनता के महत्वपूर्ण सवालों पर एक विकल्प नीति की रूपरेखा तैयार किया जा सकता है और उसी के आधार पर मजदूरवर्ग के एकजुट संघर्ष को भी आगे बढ़ाया जा सकता है (महासचिव की रिपोर्ट का संक्षिप्तरूप इसी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है).

कोयला उद्योग की स्थिति पर एम के पंधे ने अपनी रिपोर्ट रखी और बताया कि हालांकि सरकार कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक बुलाने पर राजी हो गई है. फिर भी मजदूर तबतक अपनी प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारियां करते रहेंगे जबतक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता.

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में सभी राज्यों के सदस्यों ने हिस्सा लिया. गौरतलब है कि चर्चा खास तौर से पंजाब और आंध्र प्रदेश की घटनाओं पर ही केन्द्रित था और इस संदर्भ में एक ओर कांग्रेस (आई) की तानाशाही मुहिम और दूसरी ओर फूटपरस्त ताकतों तथा इसके साथ तालाबंदी व मिलबंदी के खिलाफ उनके अपने संघर्ष — इन सबको रोकने के लिए एक जुट संघर्ष के जरिये सीटू यूनियनों द्वारा किए गए अनथक प्रयास के बारे में अपने अपने राज्यों में अपने अनुभव भी उन्होंने व्यक्त किये.

बी. टी. रणदिवे के अध्यक्षीय भाषण के आधार पर ही कपड़ा उद्योग के संकट पर विशेष रूप से विचार हुआ. एम. के. पंधे ने इस संदर्भ में अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सीटू द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया. बैठक में तय पाया गया कि समूचे कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर देशव्यापी संयुक्त आंदोलन के लिए प्रयास जारी रखे जयें.

महासचिवीय रिपोर्ट पर बोलते हुए पी सांभगिरि (महाराष्ट्र) ने कपड़ा उद्योग में गम्भीर संकट के बारे में बताया और कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही तालाबंदी व छंटनी से 1 लाख दस हजार मजदूर प्रभावित है. मिलों में भारी संख्या में मजदूरों को छंटनीग्रस्त किए जाने के साथ साथ मालिकान ने पावरलूमों में इनकी संख्या भारी पैमाने पर बढ़ा दिया है क्योंकि पावरलूमों के लिए को श्रम कानून नहीं है दस साल क बाद न्यूनतम वेतन में सुधार के बाद मालिकान के दबाव के कारण सरकार ने फिर उस आदेश को रद्द कर दी है. उन्होंने टायर उद्योग में व्याप्त धांधलियों का जिक्र करते हुए कहा कि मालिकान उत्पादन में 25 फीसद और वेतनों में 40 फीसद

की कटौती की है. उन्होंने सीटू यूनियनों द्वारा राज्य में चलाए गए संघर्षों के बारे में भी विस्तार से बताया.

एस एन सोलांकि (हरियाणा) ने राज्य में क्लोजर व तालाबंदियों के खिलाफ तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थान की इकाई हरियाणा कंकास्ट को नीजि मालिकान के हाथों बेच देने की साजिश के खिलाफ सीटू यूनियनों द्वारा चलाए गए संघर्षों तथा अन्य ट्रेड यूनियनों को भी इस संघर्ष में शामिल करने के प्रयासों के बारे में बताया. उन्होंने यह भी बताया कि भजनलाल सरकार द्वारा साम्प्रदायिकता का आग भड़काते हुए तथा क्षेत्रियतावाद का धुंआ उठाकर मजदूरों के एक जुट संघर्ष को कुचलने के प्रयास को किस तरह सीटू यूनियनों ने नाकाम किया.

आर. उमानाथ (तामिलनाडु) ने केन्द्र की कांग्रेस (आई) तथा राज्य के ए आई ए डी एम के सरकारों के मजदूर विरोधी नीतियों तथा राज्य में तालाबंदी-मिलबंदियों के खिलाफ सीटू यूनियनों द्वारा चलाए जा रहे लगातार संघर्षों के बारे में बताया. इस सिलसिले में विभिन्न हड़ताल की कार्रवाई तथा 12 सितम्बर के राज्यव्यापी हड़ताल का उन्होंने जिक्र किया जिसमें पुलिस अत्याचारों को झेलते हुए मजदूरों ने व्यापकरूप से हिस्सा लिया. उन्होंने इस विषय पर भी ध्यान खींचना चाहा कि क्लोजर व तालाबंदी की घटनाओं को एक समाज विरोधी कार्य समझकर इसके खिलाफ सिर्फ मजदूरवर्ग को ही नहीं बल्कि लोगों को भी लामबंद करना, सीटू यूनियनों का एक मुख्य काम होना चाहिए. ए. के. राय द्वारा पेश किए गए सुझाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूंजीवादी आर्थिक संकट के स्थिति में दुनिया भर के पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों का भी यही सुझाव है कि मुनाफेवाली इकाइयों को अपने पास रखकर बीमार उद्योगों को मजदूरों के कंधे पर लाद दिया जाय — मजदूरों के क्षेत्र के बारे में यही है उनके सुझाव. भारत के संदर्भ में जब अभी जरूरत इस बात की है कि मालिकान द्वारा कोषों की हेराफेरी करते हुए उद्योगों को बीमार बनाने तथा हजारों को बेरोजगार बनाने की इस समाज विरोधी रवैये को बेनकाब किया जाय, तब मजदूरों के क्षेत्र बनाने का यह सुझाव उन राष्ट्रविरोधी उद्योगपतियों के काले कारनामों पर पर्दा डालने में तथा मजदूरों पर अपने संकट के बोझ थोपने में ही मददगार साबित होगा. क्रांतिकारी भावनाओं के प्रचार करने वाले किसी को भी इस तरह के नारे लागाकर मजदूरों को गुमराह नहीं करना चाहिए. एन. टी. रामाराव की पुनर्बहाली के सवाल पर हुए जन आंदोलनों में सीटू यूनियनों द्वारा लगातार संघर्ष की कार्रवाई में सक्रीयरूप से शिरकत किए जाने के बारे में भी उन्होंने बताया. राज्य के विभिन्न तबकों के मजदूरों के साथ खासकर किसान और खेत मजदूरों के साथ बिरादराना सम्बन्ध स्थापित किए जाने और उनके आंदोलनों को आगे बढ़ाने में सीटू के प्रयासों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा राज्य सीटू द्वारा इनके संघर्ष के लिए अब तक 40,000 रु. इकट्ठा किया गया है.

पंजाब की स्थिति पर चर्चा करते हुए मंगत राम पासला ने बताया कि किस तरह कांग्रेस (आई) की नीति तथा अकाली नेताओं द्वारा आतंकवादियों के गतिविधियों की भर्त्सना करने में नाकामयाब रहने के कारण स्थिति बिगड़ती गई. उन्होंने कहा कि फूटपरस्त और पृथकवादी कार्रवाई के बारे में राज्य के मजदूरवर्ग एवं जनता जागरूक रहने के कारण इन साम्राज्य-साजिशों को बेनकाब किया जा सका. सीटू सक्रिय सदस्यों द्वारा विभिन्न खतरों को झेलते हुए साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए राज्य के हर तबके के लोगों को एकबद्ध किए जाने के प्रयासों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया.

मोहम्मद अमीन (प. बंगाल) ने बताया कि प बंगाल में इंटकी गुंडों के हमलों को झेलते हुए सीटू को अपने संघर्षों को आगे बढ़ाना पड़ा और इसी के कारण पिछले सात सालों में सीटू के 400 सदस्य मारे गये. उन्होंने ए. के. राय के इस विचार का कि प. बंगाल में हड़ताल आंदोलन घटती जा रही है, जोरदार खंडन करते हुए कहा कि वाम मोर्चा सरकार की पिछले सात सालों के प्रशासन में ही राज्य में, अन्य राज्यों की तुलना में, सबसे अधिक हड़तालें हुई और सभी संघर्षों में राज्य सरकार का समर्थन भी मिला. उन्होंने, जूट मजदूरों की एकजुट हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें इंटक को भी वाध्य होकर शामिल होना पड़ा. जूट सेठों के मजदूर विरोधी तथा अड़ियल रुख एवं सरकार द्वारा उन्हें मदद और संरक्षण दिये जाने की बात को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि वाम मोर्चा सरकार के समर्थन के बिना यह सफल होना नामुमकिन था. उन्होंने कहा कि समझौते के बावजूद भी जूट सेठों इस उद्योग को बर्बाद करने तथा लाखों मजदूरों को बेरोजगार बनाने पर तुले हुए है इसलिए इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जाने के संघर्ष को आगे बढ़ाना लाजिमी है. राज्य के प्रति केन्द्र सरकार की भेदपूर्ण और उदासीन रुख का जिक्र करते हुए उन्होंने वाममोर्चा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को पेश किए गए 18 सूत्री मांगों के बारे में भी विस्तार से बताया. आंध्र प्रदेश के सवाल पर 25 अगस्त को राज्यव्यापी बंध फूटपरस्त ताकतों को रोकने, शांति आंदोलनों को तेज करने एवं अन्य सवालों पर राज्य की जनता को लामबंद करते हुए वाममोर्चा सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का भी उन्होंने चर्चा किया जिसमें सीटू ने मुख्य भूमिका निभाई.

के. एन. रवीन्द्रनाथ (केरल) ने काजू, नारियल जटा, बांस एवं राज्य के अन्य परम्परागत उद्योगों के मजदूरों के संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि करुणाकरण सरकार की मजदूर विरोधी रवैये के कारण इन उद्योगों में

लगे 15-20 लाख मजदूर तथा उनपर आश्रित करीब एक करोड़ लोग प्रभावित है. सीटू की अगुवाई में करीब सब परम्परागत उद्योगों में संयुक्त संघर्ष चलाई जा रही है. उन्होंने बिजली मजदूरों के शानदार संघर्ष तथा तालाबन्दी के खिलाफ मजदूर कर्मचारियों द्वारा चलाये गए संघर्ष के बारे में भी बताया.

जे. के. सिथेटिक्स के संघर्ष का जिक्र करते हुए प्रेम किशन शर्मा (राजस्थान) ने बताया कि किस तरह सरकार, पुलिस एवं मालिकान की अत्याचार और हमले को झेलते हुए वहां के सीटू यूनियन ने बहादुराना संघर्ष चलाया. उन्होंने कहा कि इससे विघटनकारी पुनमिया डंडा गिरोह का और भी अलग-थलग कर दिया गया. राज्य में बंद पड़े कपड़ा मिलों तथा कपड़ा उद्योग में संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन के प्रस्ताव को दोहराया. तालाबंदी व क्लोजर से प्रभावित छोटे उद्योगों का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्य सीटू द्वारा इन सवालों पर एक जुट आंदोलन के लिए चलाए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया.

जे.के. पारभार (गुजरात) ने राज्य में बड़े संख्या में बन्द पड़े कपड़ा मिलों का जिक्र करते हुए इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण के लिए सीटू की अगुवाई में चलाए जा रहे संघर्षों के बारे में बताया.

चंडी प्रसाद (बिहार) ने एच ई सी तथा राज्य सरकार कर्मचारियों के शानदार संघर्षों के बारे में बतया. आंध्र प्रदेश के सवाल पर सफल बिहार बन्द कार्यक्रम का भी उन्होंने जिक्र किया तथा 1 सितम्बर को शांति दिवस मनाने और शांति आंदोलनों में मजदूरवर्ग को लामबंद करने की सीटू के प्रयासों के बारे में भी बिस्तार से बताया.

जे.के. रेयन एवं अन्य इकाइयों में बन्दी के खिलाफ सीटू द्वारा राज्य भर में चलाए गए शानदार संघर्षों का ब्योरा देते हुए दौलत राम (उत्तर प्रदेश) ने बताया कि राज्य प्रशासन द्वारा चलाए गए भारी दमन और कातिलाना हमलों को झेलते हुए जेल भरो आंदोलन, 11 जुलाई को राज्यव्यापी हड़ताल एवं अन्य कार्यक्रमों को शानदार सफलता के साथ पूरा किया गया.

के. वेंकटेश्वरलू (आंध्र प्रदेश) ने एन टी रामाराव की बर्खास्तगी के खिलाफ राज्य भर में हुए जबर्दस्त जन आंदोलनों में भारी संख्या में मजदूरों के हिस्सेदारी के बारे में बताया.

पी.के मित्र (मध्य प्रदेश) ने कोयला उद्योग के राज्यस्तरीय संयुक्त संघर्ष समिति एवं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय अभियान समितियों के कमजोरियों का जिक्र किया. विभिन्न सवालों पर सीटू द्वारा संयुक्त आंदोलन के निर्माण किए जाने के प्रयासों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया. उन्होंने मजदूरों के उस एकजुट संघर्ष के बारे में भी बताया जिसके कारण बन्द पड़े विनोद व विमल कपड़ा मिलों को खोलने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा.

शिवाजी पट्टनायक (उड़ीसा) ने भी तालाबन्दी व मिलबंदियों के विरोध में राज्य में सीटू की नेतृत्व में चलाए गए संघर्षों के बारे में बताया.

सी. नांजुदाप्पा (कर्नाटक) ने 25 अगस्त को राज्य में हुए बन्द तथा तालाबंदी व क्लोजर के खिलाफ चलाये गए संयुक्त संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया.

एस. मांजरेकर (गोआ) ने सीटू को अगुवाई में मिलबंदियों व छंटनी के खिलाफ तथा फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ चलाए गए संघर्ष के बारे में बताया.

जामिनी साहा (प. बंगाल) ने कपड़ा उद्योग में गहराते संकट के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि प. बंगाल के कपड़ा उद्योग मालिकान पिछले समझौते को लागू करने से इंकार कर रहे है. उन्होंने कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए एक देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए आग्रह किया.

कामगार महिलाओं के समस्याओं के बारे में बोलते हुए विमल रणदिवे ने सीटू की अगुवाई में सभी राज्यों में समन्वय समितियां गठन किए जाने तथा नियमित रूप से कामगार महिलायों की सम्मेलन बुलाये जाने की बात कही. बीड़ी, निर्माण आदि जैसे असंगठित क्षेत्रों के महिला मजदूरों को संगठित किये जाने के जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया. इस मसले पर अपना विचार रखते हुए बी. टी. आर ने कहा कि यद्यपि कामगार महिलायों के सवाल पर बहुत सारे राज्यों में सीटू उनके समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रही है फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है ऊन्होंने साम्राज्यवादियों की सहायता प्राप्त महिला संगठनों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि इनके समस्याओं को लेकर ट्रेड यूनियनों को आगे बढ़ना होगा.

इसके बाद क्रिडेंशल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कुछ सुधार के लिए सचिवमंडल को सौंपा गया. अंतिम रूप दिये गए रिपोर्ट के मुताबिक सम्बद्धता के लिए 168 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसके कुल सदस्यता 36,167 है इसमें कुल 22,366 सदस्यतावाले 115 यूनियनों को, तमाम औपचारिकता पालन किए जाने के कारण सीटू से सम्बद्ध करली गई. बचे आवेदन पत्रों पर भी, औपचारिकता पूरे हो जाने के साथ ही सम्बद्ध कर लिया जायगा. समय की कमी के कारण, युद्ध के खतरे पर समर मुखर्जी द्वारा पेश किए तथा पी. के गांगुली द्वारा समर्थित प्रस्ताव के अलावा और कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका. अन्य सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सचिवमंडल को सौंप दिया गया.

बी. टी. आर के प्रस्ताव के अनुसार बैठक ने इरान-ईराक युद्ध तथा खोमैनि प्रशासन द्वारा तुदेह पार्टी एवं नेतायों की

(शेष पृष्ठ 35 पर)

महासचिव की रिपोर्ट

(संक्षिप्त रूप)

समर मुखर्जी

कानपुर में सम्पन्न हमारे पिछले सम्मेलन के बाद की इस 16 महीने की अवधि, बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है. राज्य कमेटियों के रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जायगा कि किस तरह तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने मजदूर वर्ग एकता को बढ़ाने की तथा देश की एकता व अखंडता की रक्षा के संघर्ष में और साथ ही साथ अपने आर्थिक संकट के बोझ को मजदूर वर्ग एवं जनता पर थोपने की शासक-वर्ग द्वारा चलाये जा रहे जघन्य हमले को रोकने के संघर्ष में सीटू की लाइन की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहे. इस अवधि में हमने क्लोजर व तालाबन्दियों के खिलाफ हुए जुझारू संघर्षों को देखा. इस अवधि में हमने यह भी देखा है कि किस तरह हमने मजदूरवर्ग के एकजुट कार्रवाई के नारे को साकार किया और किस तरह एकजुट आंदोलनों में आए डगमगाहट को सम्भालते हुए हमले को रोकने के लिए उन्हें फिर से एक सूत्र में बांधने की कोशिश की.

कानपुर सम्मेलन का आह्वान

सीटू की लाइन के बारे में पूरी तरह समीक्षा के बाद कानपुर सम्मेलन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का हमें जायजा लेना पड़ेगा ताकि हमें मालूम हो कि हम कहां तक उसे लागू करने में सफल हुए हैं.

शांति के लिए आंदोलन

'युद्ध के खतरे व शांति के लिए संघर्ष पर' सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्त व में यह निर्देश था कि "सम्मेलन मजदूर वर्ग को नाभिकीय नरसंहार के बढ़ते खतरे के खिलाफ चेतावनी देता है और इसका आह्वान करता है कि वह अमरीकी साजिशों को बेनकाब करते हुए शांति की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष का निर्माण करें".

कानपुर सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया गया था, "लेकिन यह मानना होगा कि विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव में हमारे देश का ट्रेड यूनियन आन्दोलन मानव बिनाश के खिलाफ इस महान संघर्ष में शायद ही अपनी भूमिका अदा कर रहा है. हम खुद इसमें कुछ पीछे थे."

इसके बाद से कुछ प्रगति हुई है. जमशेदपुर में हुई बैठक से कार्यकारिणी ने 20 से 28 दिसम्बर तक शांति अभियान सप्ताह मनाने का जो आह्वान किया था, 20 दिसम्बर को प. बंगाल में तथा 28 दिसम्बर को केरल में शांति के पक्ष में विशालतम रैली देखने को मिली. त्रिपुरा में, इस वर्ष 24 अप्रैल को भी एक जबर्दस्त लामबन्दी सम्भव हुआ. राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर भी कुछ घटनाएं घटी हैं. सी पी आई(एम) एवं 7 अन्य वाम तथा विपक्षी पार्टियों के तत्वावधान में 8 तथा 9 मार्च को नई दिल्ली में हुए कन्वेन्शन ने 13 अप्रैल को देशभर में शांति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया कलकत्ता के यू एस आई एस कार्यालय के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन, दिल्ली में साइकिल जुलूस आदि की रिपोर्ट मिली है. अन्य राज्यों से इस संदर्भ में समाचार नहीं मिले हैं. इस वर्ष 1 सितंबर भी पिछले साल की तरह जोरदार रूप से नहीं मनाया गया. इस दिशा में हमारी कमियों को मिटाया नहीं जा सका और इसलिए 'युद्ध के खतरे के खिलाफ तथा शांति के पक्ष में' हमारे संघर्ष को जारी रखने की आवश्यकता पर मजदूर-वर्ग को शिक्षित करने का क्रम जारी रखना होगा. हमारी कमजोरियों को, विश्वभर में बढ़ते शांति आन्दोलनों के पृष्ठभूमि में विचार करना होगा, जिसमें अब तक जो शक्तियां पीछे थी वह भी आन्दोलन में हिस्सा लेने के कारण आन्दोलन का रूप और व्यापक होता जा रहा है. हमें इस स्थिति में सुधार लाकर अपना कुछ कार्यक्रम तय करना होगा.

फूटपरस्त व अलगाववादी शक्तियां

पिछले सम्मेलन में हमने असम की स्थिति और उसके पीछे अमरीकी साजिश, पंजाब की स्थिति तथा सांप्रदायिक व फिरकापरस्ती ताकतों की बढ़ती गतिविधियों पर जो देश की व मजदूर-वर्ग की एकता को खंडित करना चाहती है, के बारे में विस्तार से चर्चा किया था. ट्रेड यूनियनों के कार्य के सन्दर्भ में कहा गया था "यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे ट्रेड यूनियनें इस खतरे से अवगत है, इस तथ्य से अवगत है कि इस जनता का बड़ा हिस्सा पहले ही ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रति उदासीन है. जबतक ट्रेड यूनियनें इस असलियत को नहीं पहचानती है, इसे महेनजर नहीं रखती है कि मजदूर-वर्ग के बड़े हिस्सों की आर्थिक हालत की रक्षा की साझा समस्या से सम्बंधित समस्याओं के अलावा भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं,

उनकी अपील सर्वव्यापी नहीं होगी. भारत में मजदूर की दशा जाति व धर्म के आधार पर सामन्ती सामाजिक भेदभाव से मुक्त नहीं है—अपनी गतिविधियां चलाते वक्त हमारे ट्रेड यूनियनों को इस तथ्य को घर कर लेना होगा."

फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष पर अपनाये गये प्रस्ताव में मजदूरवर्ग का आह्वान किया गया, "यह सम्मेलन अपनी सभी यूनिटों का आह्वान करता है कि वे जाति, सम्प्रदायवाद व पृथकतावाद की फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ लगातार संघर्ष चलाकर मजदूरवर्ग की एकता की रक्षा करें, मजदूर-वर्ग के सभी हिस्सों को अपने झंडे के नीचे एकबद्ध करें और उनकी ताकत के साथ विघटनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करें तथा साम्राज्यवादियों को नाकाम करें और देश की एकता की रक्षा करें."

इसके बाद श्रीलंका की घटनाएं घटीं जिसमें सिंहलियों द्वारा तामिल अल्पसंख्यकों की हत्या की गई स्वाभाविक रूप से तामिलनाडु के लोग इससे प्रभावित हुए और सभी विपक्षी पार्टी लोगों के अंदर जातीयता की भावनाओं को उछालने के लिए आपस में लड़ पड़े. हमारे तामिलनाडु साथियों के लिए यह देखना एक कठिन काम हो गया कि लोगों के जायज रोष को गलत रास्ते में न जाने दें जिससे कि साम्राज्यवादी साजिशों के लिए वह मददगार साबित हो. सांप्रदायिकतावाद का हौवा खड़ा किए जाने की भी साजिशें बढ़ी है हिन्दू व मुसलमान रूढ़ीवादी गतिविधियां भी बढ़ी है हैदराबाद, भिवंडि आदि स्थानों में सांप्रदायिक दंगे भड़काये गये हैं इस खतरे के खिलाफ लोगों में जागरुकता की अभाव ही इसका कारण है. पंजाब की स्थिति पर सी पी आई (एम) अभियान चला रही है और सीटू के हमारे साथी इसमें साथ दे रहे है. हमें, इन अलगाव-वादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए, वर्ग दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए, इंदिरा सरकार की नीतियों के दिवालियापन को बेनकाब करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने तथा मजदूरवर्ग की देशव्यापी एकजुट कार्रवाई को बढ़ाने के लिए—इस अभियान को जारी रखना लाजिमी है.

मिलबंदी व तालाबंदियां

तालाबंदियों व क्लोजर तथा औद्योगिक रूग्णता की बढ़ती घटनाओं के बारे में पांचवे सम्मेलन में का. पी. राममूर्ती ने अपने रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा किया है. उस सम्मेलन में अपनाये गए प्रस्ताव में मजदूर-वर्ग का आह्वान करते हुए कहा गया, कि वे इन समाजविरोधी कार्यों के खिलाफ सरकार को बेनकाब करने के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए, प्रबंधकों के नये हमलों का मुकाबला करने के लिए संघर्ष के नये कारगर तरीके अपनाएं.

श्रीमती गांधी की सत्ता में लौटने के बाद 1980 से 1983 को इस अवधि में नष्ट हुए कुल श्रमदिवसों के आंकड़े इस प्रकार है:—

नष्ट हुए श्रमदिवस (लाखों में)

वर्ष	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
1980	120 (55%)	99 (45%)	219
1981	212 (58%)	153 (42%)	365
1982	156 (47%)	177 (53%)	334
1983	96 (32%)	201 (68%)	297

1983 में, तालाबंदियों के 64 दिनों की कुल अवधि की तुलना में हड़ताल की कुल अवधि 36 दिनों की रही. उपर के आंकड़ों में बम्बई कपड़ा उद्योग की हड़ताल को शामिल नहीं किया गया है क्यों कि यह मजदूरों पर थोपे गए तालाबंदी के सिवा और कुछ नहीं था.

औद्योगिक रूग्णता

अर्थनीति के कुप्रबंध और इसके टूट पड़ने के कारण समाज की उत्पादन शक्ति की बर्बादी तथा मजदूरों को बेरोजगार बनाने का क्रम बीमार उद्योग की संख्याओं की वृद्धि में देखा जा रहा है. — रिजर्व बैंक आफ इंडिया की 1982-83 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जून 1982 के अंत तक बीमार 439 इकाईयों में बैंकों का कुल कर्ज 1728.40 करोड़ रु. है जबकि 1981 के इसी समय तक 422 बीमार इकाइयों में फंसा हुआ कुल कर्ज की राशि 1429.29 करोड़ रु है 439 बड़े बीमार इकाइयों में से 374 इकाइयों के बारे में बैंकों के अनुसंधान रिपोर्ट में कहा है कि इसमें से 320 इकाइयों को लाभदायी संस्थान के रूप में चलाये जा सकते हैं. जिसका मतलब है अन्य 50 से अधिक इकाइयों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जायगा. जून 1982 के अंत तक बैंकों ने 26,973 ऐसे लघु उद्योग के बीमार इकाइयों का पता लगाया है जिसमें बैंकों के कुल 393.67 करोड़ रु. फंसा हुआ है जबकि जून 1981 के अन्त तक यह राशि, 22,360 बीमार इकाइयों के क्षेत्र में 321.53 करोड़ रु थी. इसमें से, बैंकों द्वारा खोजबीन के बाद 5316 इकाइयों को फिर से स्वास्थ्य बनाकर फायदेमंद रूप में चलाये जाने की बात कही गई है जिसका मतलब है बचे 14,576 इकाइयों को बंद कर देना होगा. यह है मंदी, कुप्रबंध और दिवालियापन की तस्बीर. छोटे इकाइयों में रूग्णता संक्रमक रूप से फैल रही है. सरकार भी यह स्वीकार करती है कि रूग्ण इकाइयों की संख्या दिसम्बर 1979 के 22,366 से तेजी से बढ़कर दिसम्बर 1982 के अंत तक 60,157 हो गई

है और इसमें अधिकतर स्थायी रूप से बंद हो जायगी. पिछले एक साल में यह संख्या 20 फीसद और बढ़ी है' अब इस फैलते बीमारी को रोकने के लिए समाज को व्यवस्था लेना पड़ेगा. इन सारे इकाइयों को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता अगर मजदूर कर्मचारियों को भरोसे में लेकर प्रबंध व्यवस्था में सहभागिता की जिम्मेदारी मालिकान उन्हें भी दें. बड़े रूग्ण इकाइयों को राष्ट्रीयकरण करते हुए प्रबंधन में मजदूरों की हिस्सेदारी, समय पर छोटे इकाईयों को सहायता देकर मजदूरों के सहयोग से उन्हें चलाना आदि कदमों से रूग्ण इकाइयों को फिर से स्वस्थ्य बनाया जा सकता है और इस तरह विपुल उत्पादक क्षमता को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है.

कपड़ा उद्योग में स्थिति भयानक गंभीर है. सरकार ने राज्य सभा को यह सूचना दी है कि मिलबंदियों के कारण विभिन्न राज्यों के कपड़ा मिलों में कार्यरत 1,09,773 मजदूर बेरोजगार बना दिए गए हैं. राज्यवार रूप से बेरोजगार बनाए गए मजदूरों की संख्या इस प्रकार है.—आंध्र प्रदेश-2584, बिहार-500, गुजरात-36,753, हरियाणा-6385, कर्नाटक-3304, मध्य प्रदेश-2636, महाराष्ट्र-15276, उड़ीसा-4805, राजस्थान 2212, तामिलनाडु-12839, उत्तर प्रदेश-4046, प. बंगाल-4723, नई दिल्ली-6,847, तथा पोंडिचेरी-6860. पर यह रिपोर्ट सही नहीं है. मैं आपका ध्यान गुजरात राज्य कमेटी की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें बताया गया है कि सिर्फ गुजरात में ही मिलबंदियों से 54,425 मजदूर प्रभावित हैं. यह भी हम जानते हैं कि बम्बई के एक लाख से भी अधिक कपड़ा मजदूर अभी भी बेरोजगार हैं. इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य सभा में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े स्थायीरूपी कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं और बेरोजगार बनाए गए बदली तथा आकस्मिक मजदूर इसमें शामिल नहीं किए गए हैं.

इंजीनियरिंग उद्योग की स्थिति के बारे में प. बंगाल राज्य कमेटी द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल मिलाकर 161 इकाईयां मिलबन्दी से प्रभावित हैं जिससे 41,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. यह सिर्फ उन्हीं इकाईयों का हवाला है जिसमें सीटू की यूनियन हैं. जाहिर है कि देशभर में स्थिति और भी गम्भीर हैं. केरल राज्य कमेटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जायगा कि किस तरह इस वर्तमान संकट के कारण परम्परागत श्रम-प्रधान उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए, छंटनी, तालाबन्दी व क्लोजर के खिलाफ नई दिल्ली में 20 जनवरी 1984 को हुए विशेष सम्मेलन द्वारा इन हमलों के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाये जाने के सुझाव दिए गये. प्रस्ताव में मजदूर-वर्ग को सचेत करते हुए कहा गया था, "सरकार की मजदूर-वर्ग विरोधी व जन-विरोध नीतियों को पूरी तरह बदलवाने का संघर्ष एक लम्बा संग्राम होगा जबतक इन नीतियों का प्रतिरोध करने के लिए मजदूर-वर्ग व जनता के सभी हिस्से एकजुट नहीं होंगे तबतक भारत सरकार द्वारा उन्हें त्याग दिए जाने की सम्भावना नहीं है" और किसी इकाई की रूग्णता या बन्द किए जाने के कारणों का विस्तार से विश्लेषण किए जाने के बाद तथा कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के बारे में जनता को बताए जाने के बाद ही सरकार की इन नीतियों के खिलाफ एक देशव्यापी लगातार व कटिबद्ध संघर्ष छेड़ना सम्भव होगा.

सीटू को एक जबर्दस्त अभियान चलाना होगा ताकि जनता इन समाज विरोधी कार्यों को समझें और इसके खिलाफ कारंवाई करें.

बढ़ते संघर्ष

कानपुर सम्मेलन से इस जनरल काउंसिल मिटिंग की यह अवधि, विभिन्न राज्यों तथा उद्योगों में मजदूरवर्ग संघर्ष से भरा हुआ है. इन बढ़ते आन्दोलनों को एक और नई दिशा मिली जब 17 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने भी मजदूरवर्ग के विभिन्न मांगों को समर्थन करते हुए देश की जनता से 13 फरवरी को 'मांग दिवस' के रूप में मनाने का आह्वान किया जिसे व्यापक और जबर्दस्त रूप से मनाया भी गया.

जिस साहस और दृढ़ता के साथ हमारे असम के साथियों ने पृथकतावादी ताकतों और अधिकारी तन्त्र के दोहरे खतरें के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने संगठनों को बचाया है उसकी हम सराहना करते हैं. पंजाब में हमारा संघर्ष मजदूरवर्ग एकता को बनाए रखने की थी जिससे कि पृथकतावादी तत्वों द्वारा भड़काए गये सांप्रदायिकता की आग से मजदूरवर्ग प्रभावित न होने पाय. हरियाणा के हमारे साथियों द्वारा संघर्ष एक ऐसी स्थिति में चलाई गई जब सरकार ने सीटू यूनियनों द्वारा उठाये गए औद्योगिक विवादों को सुलझाने की कोई प्रयास ही नहीं किया. जिस बर्बरता से, छंटनी के खिलाफ कोटा मजदूरों के बहादुराना सन्घर्ष को कुचला गया उसकी जानकारी आप को है. कोटा के क्षेत्रीय सचिव का. आर.के. स्वामी पर चलाये गए बर्बर अत्याचार और कायरतापूर्ण हमले के बावजूद जे.के. सिथेटिक्स के मजदूरों ने फिर से काम बन्द कर दिया जिसके लिए प्रबन्धकों ने उनके आठ दिनों के वेतन काट लिया है. इसी तरह के कातिलाना हमले कोयला मजदूरों के नेता सुरकाचार (मध्य प्रदेश) पर भी, डब्ल्यू सी एल के स्थानीय मैनेजर द्वारा चलाया गया.

मैं आपका ध्यान जूट मजदूरों के एकजुट संघर्ष की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो 84 दिनों तक चला. यह एक देशव्यापी कारंवाई थी पर यू.पी. सरकार ने इसे गैर-कानूनी करार देने के लिए एस्मा लगाई और प्रबन्धकों ने भी मजदूरों

को यह प्रस्ताव दिया कि प. बंगाल में जो भी समझौता होगा उसे वह लागू करेंगे. इस आश्वासन को अन्य यूनियनों ने मानली इसलिए सीटू को अकेले लड़ना पड़ा और वे एक दिन हड़ताल पर भी रहे. इसी तरह के आश्वासन आंध्र प्रदेश, बिहार तथा असम के जूट मजदूरों को भी दिये गये. पर अब, प. बंगाल में आन्दोलन समाप्त हो जाने के बाद इन सभी राज्यों में प्रबन्धकों ने इसे लागू करने से इन्कार कर दिया है. रायगढ़ के मजदूर जो हड़ताल की कार्रवाई में शामिल थे, अपना संघर्ष जारी रखा है.

15 मार्च 1984 को शुरु हुई गोदी व बन्दरगाहों के एकजुट संघर्ष, गोदी मजदूरों के संघर्ष का इतिहास में सबसे लम्बी हड़ताल थी जो 11 अप्रैल तक चली. यहां भी इन्टक सहित, गोदी व बन्दरगाह मजदूरों के चार मुख्य फेडरेशनों ने संयुक्तरूप से हड़ताल को चलाया. इन्टकी नेतागण अगर नहीं डगमगाते तो और अच्छा समझौता होता.

मैं, कानपुर के जे.के. रेयन मजदूरों के लगातार संघर्ष का भी जिक्र करना चाहूंगा जो 15 महीने से मिलबन्दी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. लखनऊ तथा दिल्ली में धरने का कार्यक्रम चलाने के बाद जब सरकार ने मिल को अधिग्रहण करने का आश्वासन देने के बावजूद अधिग्रहण नहीं किया तो मजदूरों ने सीटू तथा अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की अगुवाई में जेल भरो आन्दोलन भी शुरू किया.

भास्कर टेक्सटाइल मिल्स् (उड़ीसा) तथा एंग्लो फ्रेंच टेक्सटाइल मिल्स् (पांडचेरी) के मजदूरों के दृढ़तापूर्ण संघर्ष का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो गैर कानूनी तालाबंदी और मिलबंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं. मैं कांदला मुक्त व्यापार क्षेत्र गोलीकांड की तीव्र भर्त्सना करता हूं जहां बंधुआ मजदूरों जैसा काम करवाए जाने की रुख के खिलाफ लड़ रहे मजदूरों पर गोली चलाई गई जिसमें दो युवा श्रमिकों की मृत्यु हुई. मैं, त्रिपुरा के खोकन भौमिक पर गोली चलाकर उनकी हत्या किए जाने की भी तीव्र भर्त्सना करता हूं. का. भौमिक उस समय उग्रवादियों के बर्बर अत्याचार के शिकार का. चक्रवर्ती के शवयात्रा की जुलूस का अगुआई कर रहे थे. मैं, विशाखा पतनम् एवं अन्य स्थानों पर हुए पुलीस गोलीबारी की भी तीव्र निंदा करता हूं. मैं बहुत दुःख के साथ आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि मोदीनगर में हमारे सीटू के सक्रिय सदस्यों को संघी गुंडों ने निर्दयता से हत्या की. तमिलनाडु में भी पिछले साल, 1 जुलाई को अशोक लेलेंड होसुर के सीटू यूनियन के नेता शक्ति मेल की प्रतिस्पर्द्धी यूनियन के सदस्यों ने निर्ममता से हत्या की. सबसे जघन्य हमला, 24 सितबंर 1983 को उड़ीसा सीटू राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड अजेय राउत के परिवार पर की गई. कलता में आर एस एस गुंडों ने निष्ठूरता से इनके पांचवर्षीय पुत्र की हत्या करदी और इनके पत्नी व पत्नी की बहन को गंभीर रूप से घायल किया. अब सरकार भी, केन्द्रिय औद्योगिक सुरक्षा बल के जरिए विभिन्न केन्द्रिय सार्वजनिक संस्थानों में तथा एसमा के जरिए हड़तालों पर प्रतिबंध लगाकर दमन, और अत्याचार चला रही है. हमें यह समझना होगा कि संघर्ष के बढ़ते ज्वार से शासक वर्ग तथा सत्ताधारी सरकार घबरा रही है. यह एक ऐसा मजदूरवर्ग चाह रही है जिसके कंधे पर अपने संकट के बोझ आसानी से थोप सके. किसी भी संस्थान में जहां सीटू जैसे जुझारू संगठन हों वहां ऐसा होना नामुमकिन है और इसलिए सीटू के मजदूरों पर अत्याचार सबसे ज्यादा होता है.

मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष पर

भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों पर, कानपुर सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव में मजदूर वर्ग का आह्वान किया गया कि "वे अधिनायकवाद की वृद्धि का प्रतिरोध करने और सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर करने के लिए संगठनात्मक मशीनरी को मजबूत करें. मजदूरों के सभी तबकों को लामबंद करे तथा लगातार जुझारू व एक जुट संघर्षों को शुरू करें. ट्रेड यूनियनों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था. सम्मेलन द्वारा तय किए गए राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय कन्वेन्शन का कार्यक्रम, सभी राज्यों में पूरा नहीं किया जा सका.

सीटू की पहल पर 20 जनवरी 1984 को तालाबंदियों क्लोजर व छंटनी पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुई जिसमें आंदोलन के कुछ कार्यक्रम तय किए गए. इन कार्यक्रमों को राज्य स्तर पर पूरा करने के प्रयास के बाद 18 अप्रैल को राष्ट्रीय अभियान समिति के तत्वाधान में पालियामेंट मार्च का कार्यक्रम पूरा किया गया.

इस बीच, कोयला उद्योग के मजदूरों ने जून 4 व 5, 1984 को 48 घंटे की सांकेतिक हड़ताल में हिस्सा लिया. सी आई एल प्रबंधकों ने मजदूरों पर जबर्दस्त दमन जारी करते हुए 8 दिनों के वेतन में कटौती की, तबादले, बर्खास्तगी, निलंबन जैसे दंडात्मक कार्रवाइयां चलाई गई 5 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त संघर्ष समिति ने उनके द्वारा पेश किए गए मांगपत्र पर अधिकारियों द्वारा समझौता न किए जाने के कारण अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया और सरकार ने ए सभा के तहत कोयला उद्योग में हड़तालों पर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी. इस संकटपूर्ण परिस्थिति में, हमारे पहल पर, राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक हुई जिसमें 5 अगस्त को कोयला मजदूरों के साथ एकजुटता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था. एन एस ए तथा विशेष अदालत अधिनियमों की तीव्र भर्त्सना करते हुए घटक यूनियनों के राज्य इकाईयों से सितम्बर 1984 के दूसरे सप्ताह में प्रदर्शन का आयोजन करने का भी आह्वान किया गया था.

हमें यह समझना होगा कि मजदूरवर्ग के अंदर एकजुट होने की भावना तीव्र हो रहा है. इस में संगठित मजदूर भी अब यह समझने लगे हैं कि एक जुट संघर्षों से अपने आपको अलग रखना सम्भव नहीं है. एकता की इस तीव्र भावना को हमें बढ़ते तानाशाह को रोकने के लिए, मजदूरवर्ग व मेहनतकशों पर शासक वर्ग तथा शासक पार्टी के तीव्र हमलों को रोकने के लिए, इस्तेमाल करना होगा. इसके लिए हमें सीटू को और शक्तिशाली बनाना होगा, हमें मजदूरवर्ग के एकजुट कार्रवाइयों को सिलसिलेवार रूप से आगे बढ़ाना होगा, हमारे स्वतंत्र गतिविधियों में पहलकदमी दिखाना होगा तथा इस संघर्ष में हमारे सहयोगियों के प्रति लचीलापन अपनाकर उन्हें साथ लेकर चलना होगा.

सिद्धांतवादी प्रचार

पृथकतावादी ताकतों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए तथा वर्तमान समाज व्यवस्था में मजदूर-वर्ग की भूमिका को समझने के लिए खासकर जब मजदूरवर्ग को अलग रहने के लिए प्रभाव डाला जा रहा है, यह जरूरी है कि मजदूरवर्ग के बीच हमारे सिद्धांतवादी प्रचार को जोरदार करना होगा. कार्ल मार्क्स पर अपनाए गए प्रस्ताव के जरिए कानपुर सम्मेलन ने "कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं को आत्मसात करने तथा सामाजिक व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से मार्क्सवादी वसूलों के आधार पर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए" ट्रेड यूनियनों तथा मजदूरवर्ग का आह्वान किया था.

कानपुर सम्मेलन में ही आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए कहा गया था, "अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा मजदूर वर्ग, जनवादी आंदोलनों के प्रति जागरूक और सचेत न हों तो जनता की असंतोष का वाम पार्टियां फायदा नहीं उठा सकती" इसलिए एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन पर पहल करना लाजिमी है ताकि यह सुरक्षित किया जा सके कि आने वाले दिनों में जब लोग कांग्रेस (आई) को छोड़कर नये नेतृत्व की खोज में भागेंगे तो उन्हें वाम शक्तियों के पीछे लामबंद किया जा सके. इसके बिना जनता उन्हीं पार्टीयों के बीच डोलती रहेगी जिनके वर्गीय दृष्टिकोण में कोई खास फर्क नहीं है. जनवादी आंदोलनों के साथ-साथ विचारधारा सम्बन्धी संघर्ष ही मजदूरवर्ग को सक्रीय और जागरूक बना सकती है. सीटू की पत्रिकाएं, वर्किंग क्लास तथा सीटू मजदूर, इन प्रसंगों पर प्रचार चलाने का हमारे हथियार हैं.

संगठित क्षेत्र की जिम्मेदारियां

विक्षिप्त औद्योगिक संस्थानों के इर्द-गिर्द किसान व खेत-मजदूरों तथा जनवादी ताकतों के साथ गठबंधन के बिना मजदूर, मालिकान के खिलाफ अपने संघर्ष को कारगररुप से चला नहीं पायेंगे. संगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग कुल जनसंख्या का सिर्फ 1.5 फीसद हिस्सा है इसलिए इन्हें अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन के दायरे से ऊपर उठकर किसान व खेत मजदूरों की हितों की रक्षा के समर्थन में आगे आना होगा. कानपुर सम्मेलन में किसानों व खेतमजदूरों के संघर्ष पर अपनाए गए प्रस्ताव में कहा गया, "किसानों व खेतमजदूरों के बढ़ते संघर्षों की प्रशंसा करते हुए राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करता है कि किसानों व खेत मजदूरों के संगठनों के साथ गठबन्धन बनाने के लिए पहलकदमी करें तथा उनके हितों की रक्षा के लिए भी संघर्ष करें"

हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तामिलनाडु राज्य कमेटी ने किसान व खेतमजदूरों के आंदोलन को विकसित करने के लिए अपने हर सदस्य से प्रतिवर्ष एक रुपया चंदा लेकर एकजुटता कोष बनाने का फैसला लिया है. किसानों के संघर्ष के समर्थन में 31 जनवरी को बम्बई, थाने तथा रायगढ़ के मजदूरों ने हड़ताल की. सीटू की अगुवाई में 11 जनवरी को कर्नाटक के मजदूरों ने किसानों व खेतमजदूरों के सन्घर्ष के समर्थन में हड़ताल किये. किसान व खेतमजदूरों के साथ एकजुटता इजहार कार्रवाइयों को ही आनेवाले दिनों में और आगे बढ़ना होगा.

असंगठित मजदूरों को संगठित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. कानपुर सम्मेलन में असंगठित मजदूरों के सवाल पर पारित प्रस्ताव में बताया गया है, "इसलिए सीटू की राज्य कमेटियां व यूनियनें असंगठित श्रम की ओर ध्यान दें, उनकी मांगों को उठाए, उनकी दशा को सुधारने के लिए उन्हें संगठित करें और एकजुट संघर्ष के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें मजदूर-वर्ग संघर्षों की उसी धारा में शामिल करें."

संगठित क्षेत्र में स्थायीरूपी कामों पर ठेका श्रमिकों को लगाये जाने की मालिकों के इस बढ़ते रुझान के कारण संगठित श्रम के लिए यह जरूरी हो गया है कि ठेका श्रमिकों के समस्याओं को वे उठाएं ताकि ठेका श्रमिक प्रणाली को ही समाप्त किये जा सकें.

स्वाभाविकरूप से बेरोजगारी का सवाल भी सामने आ जाता है. कानपुर सम्मेलन ने इन शब्दों में चेतावनी दी है, "सम्मेलन सम्बद्ध यूनियनों को चेतावनी देता है कि वे यह महसूस करें कि अगर वे बेरोजगारों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे, तो इस विशाल फौज को सरकार इस्तेमाल करेगी तथा उन्हें उनके संगठित आंदोलनों व मांगों के खिलाफ खड़ा करेगी. इसलिए सम्मेलन यूनियनों व मजदूरवर्ग का आह्वान करता है और अन्य सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से अनुरोध करता है कि वे बेरोजगारों की मांगों को उठाएं तथा सरकार की नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए एकजुट संघर्षों का निर्माण करें."

हम, इस दिशा में बहुत कुछ कर नहीं पाये, पर हमें अपने

इन कमजोरियों के बारे में अपने आपको बार-बार याद दिलाते रहना है ताकि मिलबन्दियों व छंटनी के खिलाफ संघर्ष करते समय बेरोजगारों की स्थिति को हम ध्यान में रखें. हमें इसे भी ध्यान में रखना है कि काम के घण्टों को घटाये जाने की मांग पर विकसित पूंजीवादी देशों में जबर्दस्त आंदोलन चल रहा है और कुछ स्थानों पर मजदूरों ने अपने लिए हफ्ते में 38.5 घण्टे के काम की मांग हासिल करने में कामयाब भी हुए.

उद्योगवार गतिविधियां

इस अवधि में, एक नया फेडरेशन, इलेक्ट्रीसिटि एम्प्लाईज फेडरेशन आफ इण्डिया, भी बनी. अपने स्थापना सम्मेलन में संगठित श्रमिकों द्वारा एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाए जाने की मांग की गई एवं अन्य मुद्दे भी रखे गए जिसके आधार पर जनता को समझाया जा सके कि बिजली के सवाल पर उनके रोजमर्रा कठिनाईयों को सुलझाने के लिए बिजली मजदूर भी उनके साथ हैं.

इसी अवधी में 25 से 27 मई तक अखिल भारतीय कोयला मजदूर फेडरेशन का भी दूसरा सम्मेलन हुआ. इसमें भी उद्योग की खामियों को सामने लाने की कोशिश की गई पर गहराई से इसका अध्ययन करते हुए इसके खिलाफ जनमत लामबन्द करने का प्रयास नहीं किया गया.

हाल ही में अगस्त 13 से 15 तक मद्रास में अखिल भारतीय पथ परिवहन कर्मचारियों का सम्मेलन किया गया. हमें आशा है कि अन्य सभी असम्बद्ध यूनियनों को भी फेडरेशन में संगठित करने की दिशा में वे पहलकदमी दिखायेंगे.

अगस्त 1983 में दिल्ली में निर्माण मजदूरों की बैठक हुई जिसमें एक समन्वय समिति का गठन किया गया था. अगर सभी राज्य कमेटियां इस उद्योग के प्रति ध्यान दें, जिसमें करीब 60 लाख मजदूर नियुक्त हैं, तो आन्दोलन और भी व्यापक होगा.

ऑल इण्डिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन की रिपोर्ट से यह देखा जायगा कि इसके कामकाज में कुछ समस्याएं आ पड़ी हैं. हम उम्मीद करते हैं कि यहां होने वाली इसकी कार्यकारिणी की बैठक में इस पर ध्यान दिया जायगा.

सार्वजनिक क्षेत्र में चल रहे संघर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का संघर्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. जनवरी 1983 में महंगाई-भत्ता समीक्षा समिति बनाये जाने के साथ एक दिन की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी गई. पर महंगाई-भत्ते में बढ़ोत्तरी के सवाल पर जानबूझकर विलम्बकारी नीति अपनाई जा रही है तथा सरकार मूल्य सूचकांक के आधारवर्ष को भी सील कमेटी के सिफारिशों के मुताबिक 1960 से 1981-82 करने की साजिश कर रही है. सील कमेटी के सिफारिशों पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से जब सरकार ने राय मांगी तो इसका विरोध किया गया था. सीटू ने इस सवाल पर एक ज्ञापन भी पेश किया है. सील कमेटी द्वारा सिफारिशें इस तरह की गई हैं कि मूल्य सूचकांक में उपभोक्ता सामग्रियों की कीमतों का सही प्रतिफलन नहीं होगा.

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनों में असन्तुलन ही उन्हें वेतन में समानता की मांग करने में बाध्य किया.

केन्द्रीय स्तर पर दी गई अंतरिम राहत तथा पिछले साल एड-हॉक आधार पर दिए गये बोनस राज्य सरकार कर्मचारियों को नहीं दिया गया. 67 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां है जो केन्द्रीय दर पर डी. ए सहित तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों द्वारा संचालित है. बी पी ई इसमें हस्तक्षेप किया है और वेतन में संतुलन के नाम पर औद्योगिक डी. ए पेटर्न थोपना चाहती है. सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वेतन में सन्तुलन के नाम पर इस्पात, कोयला, भेल तथा अन्य 130 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में हुए समझौते की तरह वेतन मान देने की बात नहीं कही. इस तरह यह साफ जाहिर है कि सरकार की इस नीति के कारण ही सार्वजनिक क्षेत्र में एक बार फिर सन्घर्ष का सवाल आ गया है.

न्यूनतम वेतन के सवाल पर

न्यूनतम वेतन केन्द्रीय सलाहकार समिति में पिछले दो सालों से सीटू प्रतिनिधियां ने न्यूनतम वेतन के लिए मापदंड तय करने की मांग को रखते रहे. इस सवाल पर बहुत सारे राज्यों में आंदोलन की कारवाई भी हुई है पर यह कार्यक्रम को हम देशव्यापी नहीं कर पायें. इसलिए, हमें उचित न्यूनतम वेतन के लिए अभियान का निर्माण करना होगा.

संगठन

हम यह बताते हुए खुश हो रहे हैं कि पिछले साल 6 दिसम्बर को अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में एक राज्य-स्तरीय संगठन समिति का गठन किया गया है. कई राज्य सम्मेलन भी इस दरमियान किए गए हैं. असम के हमारे साथियो ने जो पिछले कई सालों से अशांत वातावरण के कारण राज्य सम्मेलन नहीं कर पाये थे, बहुत दिनों के बाद राज्य काउंसिल की बैठक करने में सफल हुए. यह खुशी की बात है कि सभी राज्य कमेटियां अपने सम्मेलनों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सदस्यता के मामले में हम बहुत पीछे हैं. सभी राज्य कमेटीयों के रिपोर्ट में यह मान ली गई है कि हमारी सदस्यता हमारे सही शक्ति का प्रतिफलन नहीं है.

(शेष पृष्ठ 30 पर)

जनरल काउंसिल द्वारा अपनाये गए प्रस्ताव

शहीदों पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को संपन्न सीटू की जनरल काउंसिल की यह बैठक उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने पिछले जनरल काउंसिल मिटिंग के बाद मजदूरवर्ग व मेहनतकश जनता के हितों के प्रति अपने समर्पन के कारण पुलिस व गुंडा हमलों के तहत अपने जीवन का बलिदान किया.

यह बैठक उन शहीदों के असमाप्त कामों को पूरा करने की शपथ लेती है और उनकी याद में अपने लाल झंडे को झुकाती है.

का० यूरी आंद्रोपोव पर

28 से 30 सितम्बर 1984 को जयपुर में सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कामरेड यूरी आंद्रोपोव जिनका देहांत 10 फरवरी 1984 को 69 वर्ष की उम्र में हो गया, के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है.

कामरेड आंद्रोपोव नवम्बर 1982 से सी पी एस यू और सोवियत सरकार का नेतृत्व किया इस थोड़ी सी अवधि में उन्होंने साबित कर दिया था कि वह शांति के अनवरत और कभी न झुकने वाले योद्धा है, जिसके लिए विश्व के शांतिकामी जनता उनकी सराहना की. साथ साथ उन्होंने एक क्षण के लिए भी, अमरीकी साम्राज्यवादी नाभिकीय युद्ध साजिशों के बढ़ते खतरे के खिलाफ सोवियत संघ तथा समाजवादी देशों की सुरक्षा को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी को नहीं भुलाया. उनके निधन से, विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन तथा सोवियत संघ की जनता और वहां के मजदूरवर्ग को अकथनीय क्षति पहुंची है.

यह बैठक इस महान क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेता की स्मृति में अपना लाल झंडा झुकती है तथा ए यू सी सी टी यू और सोवियत संघ की मेहनतकश जनता के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना का इजहार करती है.

का. डी डी वशिष्ठ पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक हिंद मजदूर सभा के महासचिव का. डी डी वशिष्ठ की 14 फरवरी 1984 को निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है.

राष्ट्रीय अभियान समिति के झंडे तले मजदूरवर्ग के एकजुट आंदोलनों को शक्तिशाली बनाने की उनके प्रयासों को यह बैठक श्रद्धा के साथ याद करती है. यह बैठक उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना का इजहार करती है.

श्रद्धांजली पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक सीटू के उपाध्यक्ष कामरेड सुधीन कुमार, कार्यकारिणी सदस्य का. पी.के. कुर्पो, जनरल काउंसिल के सदस्यों का. डी.डी. शिराली, निरोद चक्रवर्ती, ई.एस. रघुवरण तथा सीटू के भूतपूर्व कार्यकारिणी सदस्य ऋषि बनर्जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है. सीटू के प्रति इन साथियों के त्याग और समर्पण तथा एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन को विकसित करने की इनकी प्रयासों को यह बैठक श्रद्धा के साथ याद करती है. यह बैठक इनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना का इजहार करती है.

युद्ध के खतरे व शांति के लिए संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल की बैठक नाभिकीय अस्त्रों के दौर को बढ़ाने एवं युद्ध की तैयारियों को अन्तरिक्ष तक विस्तृत करते हुए विश्व शांति और सुरक्षा को और अधिक खतरे में डालने के लिए अमरीकी साम्राज्यवादियों की तीव्र भर्त्सना करती है. जेनिवा वार्ताओं को व्यर्थ करते हुए रीगन प्रशासन एवं उसके नाटो सहयोगियों ने योरोप एवं अन्य स्थानों में क्रुइज तथा पर्शिग-2 मिसाइलें तैनात करके और साथ ही अमरीकी नौसेनाओं को पुनर्सज्जित करके तथा एशिया, प्रशांत व भारत महासागर क्षेत्र में नये मिसाइलों के साथ सैनिक अड्डे बनाकर स्थिति को और भी बिगाड़ दी है. एक ओर जेनिवा वार्ताओं को फिर से शुरु करने की बात और साथ ही साथ सोवियत संघ के खिलाफ नई मिसाइलें तैनात करते हुए अमरीका अपनी राजनीतिक चालबाजी को ही बेनकाब कर रही है.

इसी तरह के धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा अमरीकी साम्राज्यवादियों ने, सोवियत संघ के 29 जून के प्रस्ताव जिसमें सुदूर अन्तरिक्ष का सैन्यीकरण रोकने के लिए वियेना में सितम्बर में समझौता-वार्त्ता बुलाने की बात कही गई, के मामले में भी लिया. नाभिकीय तथा अन्तरिक्ष युद्ध के खतरे को और वास्तविक करने के साथ-साथ रीगन प्रशासन ने रासायनिक व जैविक युद्ध की तैयारियों को भी विस्तृत करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम चला रखा है.

नाभिकीय, रासायनिक, जैविक एवं अंतरिक्ष युद्ध साजिशों का सम्मिश्रण-रीगन प्रशासन की बिनाशकारी युद्धोन्मादी मुहिम का ही हिस्सा है जिससे वह समाजवादी उपलब्धियों को ध्वंस करने तथा दुनियां पर हावी होने की साजिश रच रही है और

इस तरह विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ढकेल रही है इस बहशियाना मुहिम से जो आग भड़केगी वह तमाम मानव जाति और इस दुनियां को ही महाप्रलय के अंधकार में सदा के लिए डुबो देगी.

यह बैठक रीगन प्रशासन की तीव्र भर्त्सना करती है जिसने विश्व जनमत तथा अमरीका व योरोप सहित दुनियां भर में हो रहे शांति आंदोलन के बढते ज्वार की उपेक्षा करते हुए इस जघन्य युद्धोन्मादना में लीन है. यह बैठक, योरोप से पर्शिग तथा क्रूइस मिशाइलें तत्काल वापस लेने तथा विनाशकारी नाभिकीय अस्त्रों का परिसीमन बल्कि ध्वंस करने के लिए फिरसे बात चीत शुरू करने की मांग करती है तथा युद्ध के खतरे के खिलाफ व शांति के पक्ष में हो रहे जन आंदोलनों एवं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के संघर्षों के साथ सम्पूर्ण एकजुटता का इजहार करती है.

यह बैठक भारत महासागर क्षेत्र के दियेगो गार्सिया में अमरीकी नौसेना अड्डा के विस्तार करते हुए नाभिकीय युद्ध के खतरे को देश के दरवाजे पर ला खड़ा करने पर गहरी चिंता व्यक्त करती है आत्मसमालोचनात्मक समीक्षा करते हुए कि भारत में शांति आंदोलन अब भी उतना ही कमजोर है यह बैठक अपने राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे अपने संगठनात्मक मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त करते हुए मेहनतकशों के तमाम तबकों को लामबंद करें तथा शांति के लिए लगातार संघर्ष चलाएं और इस तरह अमरीकी साम्राज्यवादी और उसके नाटो गठबंधन के युद्ध साजिशों को नाकामयाब करने के लिए चल रही अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की मुख्य धारा में उन्हें शामिल करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को ही न केवल पूरा करें बल्कि इस उपमहादेश में शांति को भी सुरक्षित करें.

विकसित पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग के संघर्ष पर

जयपुर में, 28 से 30 सितम्बर 1984 को संपन्न जनरल कांउसिल की यह बैठक विकसित पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग का गर्मजोशी से अभिनंदन करती है जिसने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, क्लोजर, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कटौती, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले तथा शांति के सवालों पर शानदार एकजुट एवं जुझारू संघर्ष चला रहे हैं. बढ़ते युद्ध विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में वर्ग संघर्ष का तेज होना ही इन संघर्षों की विशेषता है क्योंकि अब इनके आर्थिक तथा सामाजिक मांगें इजारेदार विरोधी व साम्राज्यवाद विरोधी मांगों से एवं सारे जनवादी अधिकारों के लिए तथा साम्राज्यवादियों के दारोगा अमरीका के अगुवाई में हो रहे साम्राज्यवादी हस्तक्षेप से मुक्ति पाने की मांगों से जुड़ा हुआ है. इन संघर्षों से यह साफ जाहिर है कि पूंजीवादी देशों के मजदूरवर्ग अब ये अच्छी तरह समझने लगे हैं कि उनके जीवनयापन स्तर पर हो रहे इजारेदारों के हमले तथा साम्राज्यवादी देशों के हथियारों के होड़ व जंगखोर विदेश नीति, दोनों के बीच सीधा सम्बन्ध है. जबकि मुद्रास्फीति दो अंकवाले संख्या को छू गई है और योरोपीय सहयोग व विकास संगठन (OECD) देशों में सिर्फ पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या ही साढ़े तीन करोड़ है, और अपने गहराते आर्थिक संकट के बोझ को मजदूर-वर्ग के कन्धे पर थोपने के लिए क्लोजररूपी हमले भी अब एक नियम सा बन गया है—ये पूंजीवादी सरकारें इस संकट से बच निकलने का एकमात्र उपाय समझकर सैनिक खर्चों में भारी वृद्धि करके सैनिक उद्योग को ही पनाह दे रहे हैं. अकेले अमरीका में ही, जो सैनिक उद्योग समूह का केन्द्र है, पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या डेढ़ करोड़ हो गई है तथा 15 फीसद लोग गरीबी सीमारेखा के नीचे ढकेल दिए गए हैं.

इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष पिछले मार्च में शुरु हुई ब्रिटेन के कोयला मजदूरों की हड़ताल है जो पश्चिमी योरोप के अबतक की सबसे लम्बी हड़ताल है. क्लोजर तथा 20,000 मजदूरों को बेरोजगार बनाये जाने के विरोध में दो लाख कोयला खदान मजदूरों ने जो अदम्य संघर्ष चला रखा है उसमें उसे गोदी व बन्दरगाह मजदूरों तथा टी यू सी सहित विभिन्न अन्य तबके के मजदूरों के समर्थन भी प्राप्त हैं. सशस्त्र पुलिस की बर्बर अत्याचारों को बहादुरी के साथ झेलते हुए सिर्फ अपनी नौकरी को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीयकृत उद्योग को निजी मालिकान के हाथों बेच दिये जाने से बचाने के लिए भी चट्टानी दृढ़ता का इजहार कर रहे हैं. अन्य संघर्ष, जो पूंजीवादी दुनिया को हिला दिया है वे हैं रोजगार के नये क्षेत्र खोलने तथा वर्तमान नौकरियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हफ्ते में 35 घण्टे के काम के मांग पर पश्चिमी जर्मनी के इस्पात कर्मचारियों की हड़ताल, पिछले एक साल से ऊपर चल रही अमरीका के तांबा मजदूरों की हड़ताल, बेल्जियम के इस्पात मजदूरों, बन्दरगाह मजदूरों, वायुयान इंजिनियरों, स्कूल शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक के बाद एक हड़ताल आन्दोलन, स्पेन तथा ग्रीस के शिपयार्ड मजदूरों की हड़ताल, खदानों व भट्टियों को बन्द किए जाने के विरोध में फ्रांस में हुई आम हड़ताल, डेनमार्क में हुई आम हड़ताल आदि. इसके अलावा पूंजीवादी सरकारों के सैनिक खर्च तथा फिजूल-खर्ची घटाने के नाम पर सामाजिक व अन्य सुविधाओं में कटौती के खिलाफ बड़े-बड़े संघर्ष और असंख्य हड़ताल कार्रवाइयां चलाई गई. इन सारे आंदोलनों को पुलिस की हिंसक अत्याचार को झेलते हुए चलाया गया

यह बैठक पूंजीवादी शासकों द्वारा मजदूरों पर चलाये गये बर्बर दमन और अत्याचार की तीव्र भर्त्सना करती है तथा इन देशों के मजदूर-वर्ग के शानदार संघर्षों के साथ सम्पूर्ण एकजुटता का इजहार करती है.

ईरान के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं पर हमले पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक ईरान सरकार द्वारा उस देश के प्रगतिशील ताकतों पर चलाये जा रहे अत्याचार की तीव्र भर्त्सना करती है जो न केवल अनेक राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं तथा प्रगतिशील लोगों को बिना विचार कैद करके रखा है बल्कि उन्हें परेशान भी कर रही है, और साथ ही साथ ईरान सरकार से यह मांग करती है कि तुदेह पार्टी तथा ओ आई एफ एफ (बहुमत) के कार्यकर्त्ताओं को जल्द से जल्द रिहा कर दिये जांय.

यह बैठक ईरान-ईराक के बीच काफी समय से चल रहे युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त करती है तथा इसे तुरन्त बन्द करने व इन दोनों देशों की जनता के बीच शांति और सोहार्द प्रतिष्ठा करने की मांग करती है.

राष्ट्रीय एकता और फूटपरस्त ताकतों पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक फूट-परस्त व पृथकतावादी ताकतों की बढ़ती गतिविधियों पर, जो साम्राज्यवादी उकसावे और मदद से देश की अखण्डता को खण्डित करना चाहती है साथ ही साथ मजदूर-वर्ग की बढ़ती एकता व देश की जनवादी आंदोलनों को विघटित करना चाहती है, गम्भीर चिंता व्यक्त करती है. आजादी के लिए वर्षों की साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के जरिये निर्मित देश की अखण्डता और एकता इतने खतरे में शायद ही कभी पड़ी हो.

यह बैठक मजदूर-वर्ग का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि तेज रफ्तार से बढ़ते बेरोजगारी के साथ देश की बिगड़ती आर्थिक, सामाजिक स्थिति के कारण जनता में व्याप्त रोष और असंतोष का फायदा उठाकर पृथकतावादी नारे लगाये गए तथा असम व पंजाब में आन्दोलन शुरु किये गए जिसके पीछे साम्राज्यवादी एजेंसियों की प्रत्यक्ष मदद देखा गया. इस मामले में हाथ आये दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश को विभाजित और टुकड़े-टुकड़े करने की साजिश रची गई है तथा त्रिपुरा व पंजाब में बगावत की आग भड़काने के लिये प्रत्यक्ष मदद दी जा रही है.

इसी असंतोष का इस्तेमाल करते हुए जातीय समुदाय एवं अल्पसंख्यकों को जनवादी आंदोलनों से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में, चर्च, इस्लामी रूढ़ीवादियों, सांप्रदायिक उग्रवादियों एवं जातिवादी तत्वों ने दंगा भड़काने की कोशिश की तथा मजदूर-वर्ग आंदोलन के बढ़ते एकता को विघटित करना चाहा. इन घटनाओं के खिलाफ देश की धर्मनिरपेक्ष तथा जनवादी लोगों को जागरूक करने के बजाय शासक वर्ग अपने अधिकारीतंत्र पर ही भरोसा किया और अपने संकीर्ण चुनावी स्वार्थ में इन धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाओं को इस्तेमाल करती है.

यह बैठक मजदूरवर्ग का आह्वान करती है कि वह इसे समझे कि एक सर्वभारतीय वर्गीय दृष्टिकोण के आधार पर मजदूरवर्ग एकता ही जनवादी लोगों को अपने पीछे लामबंद कर सकती है और उनकी ताकत के साथ इन अलगाववादी व विघटनकारी ताकतों से संघर्ष कर देश को टुकड़े-टुकड़े करने की इन साम्राज्यवादी साजिशों को शिकस्त दे सकती हैं. इन खतरों के खिलाफ चौकन्न रहने तथा इन ताकतों द्वारा चलाए गए जघन्य हमलों को बहादुरी के साथ झेलते हुए निरंतर संघर्ष जारी रखने के लिए यह बैठक अपने राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों को बधाई देती है. यह बैठक उनसे अपील करती है कि अपने वर्ग स्वार्थ में देश की एकता को बनाए रखने के लिए तथा आर्थिक व जनवादी विकास के लिए इन ताकतों के खिलाफ संघर्ष को और तीव्र करें.

पंजाब पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक पंजाब की घटनाओं पर, जो देश की एकता को विभाजित करने की एक खतरनाक साम्राज्यवादी साजिश को बेनकाब करती है तथा देश की मजदूरवर्ग व जनवादी आंदोलन पर एक जबर्दस्त धक्का है, गम्भीर चिंता व्यक्त करती है. इसमें सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुचाई गई है और पंजाब के लोगों के बीच विभाजन आ गया है.

पंजाब के लोगों की जनवादी मांगों पर समझौता करने से कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा लगातार इंकार किए जाने तथा इन जनवादी मांगों के साथ कुछ धार्मिक मांगों को जोड़े जाने की आकाली दल के प्रयासों का फायदा उठाकर अलगाववादी तथा उग्रवादी शक्तियों ने स्वर्णमंदिर को आधार बनाकर निरपराध लोगों की व्यापक हत्या की तथा खालिस्तान की मांग को उठाया. आकाली नेताओं द्वारा इन हत्याओं की तथा स्वर्ण-मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने एवं इसे साम्राज्यवादी साजिशों को चलाने की जमीन के रूपमें इस्तेमाल किए जाने को भर्त्सना न करने के कारण स्थिति को और भी जटिल बना दिया गया. स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई के जरिये, जिसे टाला जा सकता था अगर सरकार विपक्षी पार्टियों के साथ हुए समझौते को मान ली होती, कांग्रेस (आई) सरकार ने सिख समुदाय को अलग थलग कर दिया है. स्थिति यह मांग करती है कि सिखों के भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई गई है उन भावनाओं को शांत किया जाय तथा पंजाब के लोगों के बीच सौहार्द्र और शांति बहाल की जाय ताकि देश को विभाजित करने की साम्राज्यवादी साजिशों को शिकस्त दी जा सके.

इसलिए यह बैठक कांग्रेस (आई) सरकार से मांग करती है कि जनवादी मांगों के राजनीतिक समाधान के लिए तथा पंजाब में सोहार्द्र कायम करने के लिए वह तत्काल बातचीत शुरू करे. पंजाब राज्य कमेटी तथा सीटू से सम्बद्ध यूनियनों को मजदूरवर्ग की एकता बनाये रखने के लिए किए गए संघर्ष के लिए बधाई देते हुए यह बैठक उनसे अपील करती है कि वे इन साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ तथा सिख समुदाय को देश की जनवादी आंदोलनों में फिर से ले आने के लिए अपने अनथक संघर्ष को जारी रखें.

सातवीं पंचवर्षीय योजना पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक मजदूरवर्ग का ध्यान सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पत्र की ओर खींचता है जो एकबार फिर देश की योजनाओं के पूर्ण विफलता को ही बेनकाब करती है. उद्देश्यपत्र में एकबार फिर गरीबी दूर करने तथा रोजगार के नये क्षेत्र खोले जाने की वही पुराने रणनीति को ही दोहराया गया है.

सरकार की यह दावा, कि गरीबी सीमारेखा के नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशत छठी योजना के शुरू के 28 प्रतिशत से घटाकर योजना की समाप्ति तक 37 प्रतिशत किया जा सका है, बिलकुल बेबुनियाद है. इसलिए इसे सातवी योजना के अंत तक और भी घटाकर 23 प्रतिशत करने और फिर आठवीं योजना के अंत में 10 प्रतिशत करने की बात, मजदूरवर्ग तथा ग्रामीण गरीबों को गुमराह करने की एक और साजिश है.

उद्देश्य पत्र का यह दावा कि छठे पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्ष में विकास की दर 5 प्रतिशत थी, भी एक सफेद झूठ है. अगर इस योजना के पांचवेवर्ष के विकास दर को भी हम अमल में ले, जो कि सबसे अधिक बताई जाती है, तो उन पांच वर्षों के औसत विकास दर सिर्फ 3.2 प्रतिशत थी.

उद्देश्य पत्र में बताया गया है, "कृषि उत्पादन में तेजी से विकास का सातवीं योजना की रणनीति में केन्द्रीय महत्व है". कृषि रणनीति की दो मुख्य धाराएं है कुल कृषि क्षेत्र को बढ़ाना तथा कृषि लागतों के लिए समुचित व्यवस्था करना. पर उद्देश्य पत्र में भूमि पुनर्वितरण का सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कुछ नहीं बताया गया. छठे योजना दस्तावेजों के मसौदे के अनुसार अगर अधिक जमींन वाले भूस्वामियों को उनकी हदबंदी के सीमा में आने वाली जमीनों को छोड़ दें तो भी, 5 करोड़ 15 लाख 10 हजार एकड़ फालतू जमीन पुनर्वितरण के लिए उपलब्ध हो सकती है. पर छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा के मुताबिक 29 लाख 45 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया और सिर्फ 20 लाख 50 हजार का ही वास्तविक वितरण हो सका. जमीनों की पुनर्वितरण के सवाल को इस तरह खामोशी से दफनाया जाना सिर्फ किसी "राजनीतिक इच्छा" के अभाव को नहीं दिखाता है बल्कि सच्ची बात यह है कि भूमि सुधारों से किनारा कशी शासक पार्टी के वर्गीय आधार को ही दिखाती है. इस मामले में प. बंगाल वाम मोर्चे सरकार द्वारा पिछले तीन साल पहले पारित भूमि सुधार कानून पर सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन दिए जाने से इंकार की मिसाल आंखें खोलने वाली है. कृषि लागतों के लिए समुचित व्यवस्था के बारे में सभी जानते है कि इसका लाभ सिर्फ जमींदारों के हाथों तक ही पहुंच कर रह जाते हैं, गरीब किसानों को इससे बंचित किया जाता है.

उद्देश्य पत्र में शहरी बेरोजगारों के सवाल पर कोई जिक्र ही नहीं है. जबकि छठी योजना की शुरू में यह स्वीकार किया गया था कि पहले ही से 2 करोड़ 21 लाख बेरोजगारों के साथ और भी 3 करोड़ 20 लाख नए नौकरी की तलाश करने वाले ही जायेंगे जिसमें यह असम्भव दावा किया गया कि छठी योजना के दौरान 3 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी. इस दावे की खोखलेपन इस बात से स्पष्ट होता है कि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जो 1980 के शुरू में 1 करोड़ 97 हजार 5 सौ थी बढ़कर अप्रैल 1984 तक 2 करोड़ 26 हजार हो गई है.

आवास व्यवस्था के सवाल को भी उद्देश्य पत्र में बड़ी सतर्कता से दफनाया गया है. छठी योजना में यह हिसाब लगाया था कि 1985 तक 3 करोड़ 70 लाख लोगों को आवास व्यवस्था कि जरूरत होगी जिसमें से योजनाकारियों ने सिर्फ 20 लाख लोगों के लिए ही व्यवस्था करने को सोचा. ग्रामीण आवास के संदर्भ में यह हिसाब लगाया गया कि 1 करोड़ 45 लाख परिवारों को आवास व्यवस्था की जरूरत होगी. इस विषय को उद्देश्य पत्र में बिल्कुल ही जिक्र न रहने का कारण है इस दिशा में सरकार की सम्पूर्ण असमर्थता और इससे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या बढ़ेगी.

आर्थिक क्षेत्र में, उद्देश्य पत्र में न केवल टालने वाला रवैया अपनाये गये है बल्कि आयात उदारता या उस पर रोक दोनों ही बातें अस्पष्ट है जबकि एक ओर यह कहा जा रहा है कि भुगतान संतुलन के दबावों को नियंत्रण में रखने के लिए आयातों की जगह घरेलू उत्पादनों को लाने पर खासा निर्भर रहना होगा और दूसरी ओर यह बताया जा रहा है कि बहु राष्ट्रीय निगमों के प्रति और उदारतापूर्ण रूख अपना कर घरेलू उत्पादन में दक्षता बढ़ाई जा सकती है. लिहाजा, इस महत्वपूर्ण मामले में टालने वाला रवैया संदेहजनक ही लगता है. विकास के पूंजीवादी रास्ता अपनाने के कारण हमारी सरकार विश्वबैंक, आई एम एफ जैसे आम्राज्यवादी एजेंसियों के गुस्से का निशाना नहीं बनना चाहती. योजना कारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र

के माध्यम जरूरी संसाधनों को जुटाने को तथा बाहरी स्रोतों पर या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसके कारण अब ये स्वीकार करते हैं मुद्रास्फीती बढ़ती है, पर निर्भरशीलता घटाने की विचार व्यक्त किए है. यह जनता से धोखाधड़ी का एक और मिशाल है, क्योंकि केन्द्र में एक असरहीन सरकार होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्ट अधिकारी तंत्र संसाधन जुटाने के बजाय भारी घाटा पहुंचा रहे हैं. जब तक सरकार अपनी नीतियां नहीं बदलती तथा समानता के आधार पर प्रबंधन में मजदूरों की हिस्सेदारी को मानकर उद्योगों को चलाने की जिम्मेदारी नहीं देती तबतक स्थिति में बदलाव लाना मुमकिन नहीं. इस विचार से देखा जाय तो प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता की सरकार की नई योजना एक और धोखा धड़ी और प्रबंचना है तथा मजदूरों पर काम के बोझ बढ़ाने की एक और साजिश है.

इस तरह सातवी योजना को अपने आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए विदेशी कर्ज तथा घाटे की वित्त व्यवस्था पर ही और अधिक निर्भरशील होना पड़ेगा जिससे पहले ही से संकट पूर्ण रूपसे बढ़ते महंगाई और भी तेजी से बढ़ेगी इसलिए गरीबी दूर करने के बजाय इस योजना से स्थिति में और बिगाड़ आएगी. इस योजना के उद्देश्य पत्र में जिस बात का सच्चा प्रतिफलन है वह है विश्व पूंजीवादी संकट के मौजूदा दौर में हमारी सरकार एक दुविधा में फंसी हुई है, और इससे बचने के लिए जाहिर है वह और भी काले कानूनों का इस्तेमाल करेगी तथा मजदूर वर्ग, किसान और जनता पर हमले बढ़ेंगे.

यह बैठक सरकार की तथाकथित गरीबी दूर करने की दावों के खोखलेपन की तीव्र भर्त्सना करती है और अपने सम्बद्ध यूनियनों तथा मजदूर वर्ग के तमाम तबके का आह्वान करती है कि वह एकबद्ध होकर विदेशी कर्ज के भुगतान पर प्रतिबंध लगाने, देशी व विदेशी इजारेदार घरानों को राष्ट्रीयकरण करने, अतिरिक्त जमीनों को भूमिहीनों में पुनर्वंटित करने तथा गरीबों की हालत में सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठाने की मांग पर एकजुट संघर्ष का निर्माण करें.

अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक अपने राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का ध्यान देश की वर्तमान घटनाओं की ओर आकर्षित करती है जो कांग्रेस (आई) सरकार की बढ़ते तानाशाही मुहिम को ही दिखाता है.

सिक्किम के भंडारी सरकार, फारूख अबदुल्ला सरकार तथा आंध्रप्रदेश की एन टी रामाराव मंत्रिमंडल को जिस तरह से बर्खास्त किया गया वह जनमत और संविधान के प्रति एक शर्मनाक और अपराध पूर्ण हमला है. इन सरकारों की बर्खास्तगी इस बात का द्योतक है कि केन्द्र सरकार न केवल जनवादी तरीकों से चुने गए गैर-कांग्रेसी सरकारों को तोड़ने की शर्मनाक हरकतों पर तुली हुई है बल्कि उन सभी राज्य सरकारों के प्रति असहनशीलता दिखाइ है, जिसको वह नापसंद करती हो, चाहे वह उनकी अपनी पार्टी की ही सरकार क्यों न हो. कर्नाटक के गैर कांग्रेसी सरकार तथा प. बंगाल व त्रिपुरा के वाम मोर्चा सरकारों के साथ अपनाई जा रही लगातार टकराव की नीति भी इन राज्यों के लिए खतरे की कारण बनी हुई है. कांग्रेस (आई) की त्रिपुरा इकाई तो राज्य में राष्ट्रपति शासन चालू करने की मांग को उठाना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ टी यू जे एस की साठ गांठ में तथा त्रिपुरा नेशनल वलांटियरस के जरिए बगावत की आग भड़काकर राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की आधार तैयार कर रही है. और भारत सरकार बी एस एफ तथा सी आर पी एफ के जरिये इन उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार को मदद करने के बजाय मनमानी ढंग से बी एस एफ तथा सी आर पी एफकी एक केन्द्रीय दल को त्रिपुरा की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा ताकि आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र के दायरे में लाकर इस राज्य को सैनिक शासन के अंतर्गत लाई जा सके. इन साजिशों के साथ-साथ सम्पूर्ण अधिनायकवाद को कायम करने के लिये शासक पार्टी ने हमारे संविधान के सन्धीय विशेषता तथा संसदीय जनवाद की जगह राष्ट्रपति शासन प्रणाली चालू करने के लिए संगठित रूप से अभियान को तेज किया.

दलबदलूओं को उकसावा देकर गैर कांग्रेसीसरक ारों को गिराने की इस खेल में, कांग्रेस (आई) सरकार जनता का सामना करने से डरती है जैसा कि जम्मू-कश्मीर में देखा गया जहां लगातार कर्फ्यू लगाया गया यहां तक कि विपक्षी नेताओं को लगातार नजरबन्द करके रखा गया. जनता की आवाज को कूचलने के लिए जम्मू कश्मीर व आंध्र प्रदेश दोनों ही स्थानों पर गोलियां चलाई गई और कई लोग मारे गए.

त्रिपुरा व प. बंगाल के वाम मोर्चेवाली सरकारों को अस्थिर करने की योजना के हिस्से के रूप में इन राज्यों को हर तरह के आर्थिक कठिनाइयों में डाला जा रहा है ताकि जनता के हित में बनाये गये अपने कार्यक्रमों को ये लागू न कर पाएं. 1984-85 के लिए, आठवीं वित्त आयोग के सिफारिशों को लागू करने से मनमानी ढंग से इन्कार करने के कारण इन दोनों राज्यों को क्रमशः 300 करोड़ रु. तथा 46 करोड़ रु से वंचित किया गया.

1980 के चुनाव के समय, कीमतों को घटाने, रोजगार के नये नये क्षेत्र खोलने आदि जनता को दिए गए वादों, जिसे विकास के पूंजीवादी रास्ते के दिवालियापन के कारण पूरा नहीं कर सकी और जिसके लिए साम्राज्यवादी दबाव में धंसती गई—इंदिरा गांधी ने एकबार फिर बढ़ते तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने लगी और उसकी अपनी नीतिओं से उत्पन्न इस संकट

के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराने लगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन लाकर तथा कथित उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रण में लाने के लिए विशेष अदालत कानून को लागू कर सरकार ने अपने हाथों में और ज्यादा अधिकार ले लिया है. इन तानाशाही मुहिम से मजदूरवर्ग भी प्रभावित है. कोयला तथा अन्य उद्योगों में एसमा का इस्तेमाल, मजदूर वर्ग के समस्याओं के प्रति सरकार की तानाशाहीपूर्ण रूख को ही दिखाता है.

यह बैठक अपने राज्यकमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों एवं मजदूरवर्ग के तमाम तबके का आह्वान करती है कि वह इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करें तथा तमाम जनवादी ताकतों को व्यापक रूप से लामबंद करते हुए इन बढ़ते तानाशाही मुहिम के खिलाफ तथा जनवादी अधिकारों के लिए संघर्ष करें.

तालाबंदियों व क्लोजर के खिलाफ आंदोलन पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर' 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक क्लोजर, तालाबंदी, छंटनी तथा औद्योगिक रूग्णता की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कोई भी कदम न उठाने के लिए भारत सरकार की तीव्र निंदा करती है.

जबकि तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रमदिवसों की संख्या, 1982 से ही, हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रमदिवसों से लगातार अधिक होती जा रही है, क्लोजर व छटनी से प्रभावित मजदूरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. यद्यपि सरकार की यह दावा है कि मिलबंदियों की घटना 1982 के 286 से घटकर 1983 में 228 और जून 1984 तक सिर्फ 96 हो गई है, पर इससे प्रभावित मजदूरों की संख्या 1982 के 26,602 से बढ़कर 1983 में 43,262 और जून 1984 तक 34,801 हो गई है. छंटनीग्रस्त मजदूरों की संख्या भी 15,922 से बढ़कर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1983 तक 20,376 हो गई है. इसी तरह, बीमार उद्योगों की संख्या दिसम्बर 1979 में जो 22,336 थी वह बढ़कर दिसम्बर 1982 के अंत तक 60,157 हो गई. उद्योगों को स्वस्थ्य बनाने की सरकार की तथा कथित तमाम रणनीतिओं के बावजूद, जून 1981 तक 50 और बडे इकाइयां तथा 14,576 छोटे इकाइयों को चलाने के अयोग्य घोषित करते हुए बन्द कर दिया गया. यह नोट करना होगा कि सरकार की यह आंकड़े असलियत को छिपाता है. फिर भी, इतने सारे मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के बावजूद सरकार मजदूरों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है. पिछले श्रममंत्रियों के सम्मेलन में सरकार ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि हड़ताल से तालाबंदियों के कारण ही ज्यादा कार्यदिवस नष्ट हुए है फिर भी उसी बयान में यह भी कहा गया कि उत्पादन में हानि तालबंदियों से ज्यादा हड़ताल के कारण हुई है.

इस समस्या के प्रति सरकार की अपराधीपूर्ण उदासीनता का इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा 20 जनवरी कन्वेन्शन तथा 18 अप्रैल की रैली के बाद सरकार को दिए गए दो ज्ञापन तथा क्लोजर व तालाबन्दियों के खिलाफ देश भर में चलाए गये आन्दोलन के बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है श्रम मन्त्रालय ने तो यह भी सफाई दी है कि उसे कोई ज्ञापन मिला ही नहीं. संसद में या श्रम सलाहकार समिति की बैठकों में उठाए गए सवालों के जबाव में सरकार केवल औद्योगिक विवाद कानून के कथित संशोधन की बात करती है जिसके अधिसूचित किए जाने के साथ ही इस समस्या को नियन्त्रित किए जाने की बात करती है. सरकार की यह धोखाधड़ी उसके इजारेदारपरस्त वर्ग स्वार्थ को ही बेनकाब करता है जो विकास के पूँजीवादी रास्ते पर चलने के कारण उत्पन्न संकट के बोझ को मजदूरवर्ग पर थोपना चाहती है. और इन हमलों को, विश्व बैंक तथा आई एम एफ के बेतुकी शर्तों को पूरा करने के लिए, और तीव्र किया जाता है.

तालाबन्दियों व क्लोजर के खिलाफ चलाए जा रहे बहादुराना संघर्ष के लिए मजदूरवर्ग को बधाई देते हुए यह बैठक, ट्रेड यूनियनों तथा मेहनतकश जनता के तमाम तबके का आह्वान करती है कि वे इन समाज-विरोधी कार्यों के खिलाफ जन-समर्थन जुटाने के लिए अपने एकजुट कार्रवाई को और तीव्र करें.

महंगाई पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक बढ़ते महंगाई पर रोक लगाने में असमर्थ रहने के लिए भारत सरकार की तीव्र भर्त्सना करती है. गौरतलब है, कि 1980 में इन्दिरा गांधी के सत्ता में लौटने के बाद से ही कीमतें अनियंत्रितरूप से बढ़ती चली जा रही है. मार्च 1980 से मार्च 1984 के खुदरा मूल्य सूचकांक में औसत सालाना 15.2 फीसद की रफ्तार से कुल 60.8 फीसद की वृद्धि हुई जो पिछले दशक के अधिकतम बढ़ोत्तरी है. कीमतों में बृद्धि की यह तेज रफ्तार इस बात से पता लगता है कि औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) जो मार्च 1984 में 558 थी वह जुलाई 1984 में 585 हो गया. थोक मूल्य सूचकांक, जिसके आधार पर सरकार मुद्रास्फीति के दर की गणना करती है और जिसके आम लोगों के पास कोई महत्व नहीं, में भी अगस्त 18, 1984 तक के पूर्व दो सालों में 8 फीसद तथा 17 फीसद बृद्धि रिकार्ड की गई. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, सरकार द्वारा बार-बार पेश किए गए यह तर्क कि यह बृद्धि सामयिक है और उत्पादन पर निर्भरशील है, सम्पूर्णरूप से गलत है. दरअसल,

सभी सामानों की ही कीमतें बढ़ी हैं—खाने की व अन्य सामानों की, चाहे वह अच्छा मौसम हो या बुरा. और अच्छे उत्पादन के बावजूद भी विभिन्न विदेशी कर्ज के कारण सरकार कुछ सामानों की भारी मात्रा में आयात करने में, मजबूर हुई. यानि रिकार्ड उत्पादन के साथ-साथ रिकार्ड आयात तथा खाने-पीने व सभी जरूरी सामानों जैसे अनाज, गेहूं, भोज्य तेल, चीनी व सिमेंट की कीमतों में भी रिकार्ड वृद्धि हुई है. इन सब सामानों के साथ-साथ चाय तथा घरेलू इस्तेमाल के कोयले आदि की खुदरा दरों में जनवरी 1980 की तुलना में 60 से 100 फीसद की वृद्धि हुई है. यह मध्यमवर्ग तथा निम्नवर्ग के जीवनयापन के स्तर को भयानकरूप से प्रभावित किया तथा गरीब जनता, किसान व खेत मजदूरों की स्थिति दयनीय बना दिया है. साथ-साथ अच्छे उत्पादन व खाद्यान्नों की आयात के बावजूद जन-वितरण प्रणाली का करीब-करीब टूट पड़ने के कारण स्थिति और संकटपूर्ण हो गया है.

कीमतों में बढ़ोत्तरी का मूल कारण यह है कि तमाम अर्थनीति इजारेदारों, सामंतियों, कालाबाजारियों व जमाखोरों के हाथों में है और बुर्जुआ-भूस्वामियों की यह सरकार उन्हीं के हितों के लिए काम कर रही है. घाटे की वित्त व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति के जरिये सामानों की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण इजारेदारों की परि-सम्पत्तियां बढ़ रही हैं तथा गरीब और भी गरीब होते चले जा रहे हैं.

अनियंत्रित मूल्य वृद्धि की इन परिस्थितियों में मजदूर-वर्ग को अपने जीवन यापन के निम्नतम स्तर को भी बनाए रखने के लिए इसके सिवाय और कोई चारा नहीं कि वह मेहनत कश तबकों के साथ किसान व खेतमजदूरों के साथ मिलकर सरकार की नीतियों के खिलाफ एक जबर्दस्त जुझारू संग्राम छेड़ें. यह बैठक, इसलिए अपने राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे महंगाई को रोकने तथा खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण सहित जनवितरण प्रणाली को शक्तिशाली रूप से कारगर बनाने की मांग पर अन्य ट्रेड यूनियनों के सहयोग से लगातार कार्रवाई का कार्यक्रम तय करें.

अत्याचारों पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर' 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक भारत सरकार की तीव्र भर्त्सना करती है जिसने देश भर के मजदूर वर्ग आंदोलन को कुचलने के लिए अपने बर्बर दमनतंत्र को लगा रखी है मजदूरों की समस्याओं के साथ सुलटने के लिए अधिनायकवादी तरीके अपनाकर, ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों को पैरों तले कुचला जा रहा है तथा विश्व बैंक व आई एम एफ के निर्देशों पर मजदूरों को अनुशासित करने के नाम पर भयानक दमन व अत्याचार जारी है. जबकि मजदूरों के हड़ताल संघर्षों को गैर कानूनी करार दी जा रही है, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र सहित सारे प्रबंधन को क्लोजर व तालाबंदी के लिए पूरी आजादी दे रखी है ताकि मजदूरों को झुकाया जा सके. जबकि प्रबंधकों ने संगठित हड़ताल तोड़कों तथा समाजविरोधियों को, मजदूरों को पीटने-धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, सरकार भी कानून व व्यवस्था के नाम पर पुलिस बल तथा गुंडों के जरिए मजदूरों के संघर्ष को दबाने की कोशिश करती रही है.

सीटू यूनियनें व सीटू के सक्रिय सदस्य, इन अत्याचारों के मुख्य निशाना रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मोदीनगर, प. बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र, तमिलनाडु के होसुर, त्रिपुरा के उदयपुर, उड़िसा के कलता व अन्य जगहों में असामाजिक तत्वों ने सीटू कार्यकर्त्ताओं व सक्रीय सदस्यों की हत्या कर दी है. हरियाणा में, उड़ीसा से आए प्रवासी मजदूरों की झोपरियों को दो बार जला दी गई और प्रबंधकों के भाड़े के गुंडों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इन कातिलाना हमले के अलावा सरकारी मशीनरी ने, जे के सिथेटिक्स, कोटा, जेके. रेयन्स्, कानपुर; हिसार टेक्सटाईल्स्, हरियाणा; दीवान रबर, मेरठ; भारत वैगनस, मुजफ्फरपुर; हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस, तामिलनाडु, एंग्लो फ्रेंच टेक्सटाइल मिलस्, पोंडिचेरी; भास्कर टेक्सटाईल मिल्स्, उड़ीसा; सीलघाट पेपर मिल्स, असम आदि मजदूरों के लम्बे अर्से से चले आ रहे आंदोलनों को अभूतपूर्व दमन चला रखा है.

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) तथा प्रबंधकों के भाड़े के गुंडों द्वारा चलाए गए अत्याचार, खासकर ई सी एल तथा बी सी सी एल में, तमाम कोयला उद्योग की एक बेमिसाल घटना है. सरकार ने आठ दिनों के वेतन में कटौती से लेकर बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी जैसे सख्त कार्रवाई चलाई और अंत तक ए स्मा लागू कर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया. सरकार, सी आइ एस एफ के जरिए अन्य उद्योगों में भी अत्याचार और दमन चला रही है जैसा कि पानीपत के नेशनल फर्टिलाइजर के ठेका मजदूरों के मामले में देखा गया जहां सी आई एस एफ तथा पुलिस ने सांप्रदायिकता की आग भड़काने तक की कोशिश की. कांदला मुक्त व्यापार क्षेत्र में दो युवा श्रमिकों को गोली मार देना, विशाखापट्नम के ठेका मजदूरों पर गोली चलाना तथा भिलाई इस्पात के ठेका मजदूरों पर पुलिस की अत्याचार, कांग्रेस (आई) सरकार की अड़ियल मजदूर विरोधी रूख का ही द्योतक है.

सरकार की इन दमनकारी नीतिओं की भर्त्सना करते हुए यह बैठक मजदूरों को उनके बहादुराना संघर्ष के लिए बधाई देती है जो अपने अधिकार और हितों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर इन अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया. यह बैठक मजदूरवर्ग को यह चेतावनी देती है कि पूंजीवादी अर्थनीति के गहराते संकट और साम्राज्यवादियों के बढ़ते दबाव के कारण सभी तबके के मेहनतकश लोगों पर इस इजारेदार परस्त सरकार के हमले बढ़ेगें. यह बैठक ट्रेड यूनियनों

का आह्वान करती है कि वह अपने पंक्तियों की ओर भी करीब लाकर जन संगठनों व मेहनतकशों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और उनके सहयोग से अपने हितों की रक्षा के लिए इन अत्याचारों को कारगरता से मुकाबला करने के लिए कारर्वाई करें.

मजदूरवर्ग के एकजुट संघर्षों पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक भारत सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा अपनी नौकरी व हितों की रक्षा के लिए मजदूरवर्ग के एकजुट संघर्ष को संगठित करने व लगातार आगे बढ़ाने के लिए राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों को बधाई देती है.

कानपुर सम्मेलन और इस मिटिंग के बीच की यह अवधि, विभिन्न राज्यों में मजदूरों के बहादुराना संघर्षों से भरा हुआ है. इन बढ़ते संघर्षों की पृष्ठभूमि में 21 अगस्त 1983 को ट्रेड यूनियनों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन तथा जनवरी 1984 को तालाबन्दियों व क्लोजर-विरोधी विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी समाप्ति 18 अप्रैल 1984 के पार्लियामेंट मार्च से किया गया जिसमें मजदूरों ने भारी संख्या में शिरकत की. यह, देश में एकजुट संघर्षों को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ आठ केन्द्रीय यूनियनों व कई राष्ट्रीय फडरेशनों का लामबन्द होना, एकजुट संघर्षों को और भी अधिक विकसित करने की स्थिति पैदा कर दी है और यह बैठक अपने राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों को इस एकता को और शक्तिशालीरूप से आगे बढ़ाने का निर्देश देती है.

राज्य सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, चिकित्सकों, नर्सों, एयरलाईन कर्मचारियों, म्यूनिस्पल कर्मचारियों, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिवों, बैंक व बीमा कर्मचारियों आदि विभिन्न तबके के मेहनतकश लोगों द्वारा देश भर में चलाये जा रहे संघर्ष, एकजुट संघर्ष की भावना में लगातार वृद्धि का ही द्योतक है. जूट तथा गोदी व बन्दरगाह मजदूरों की शानदार हड़ताल कारर्वाई ने इंटक को भी शामिल करते हुए इन दो उद्योगों में सम्पूर्ण एकता कायम करने में कामयाब हुए जिसके कारण इन्हें जबर्दस्त सफलता मिली. आंदोलन के ज्वार का इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इस अवधि में एस्मा तथा सरकार की दमनतन्त्र को झेलते हुए कई राज्यव्यापी बन्ध तथा उद्योगवार हड़तालें की गईं. यह स्पष्ट है कि एकजुट व संयुक्त कारर्वाई की अपील, मजदूरवर्ग के व्यापक हिस्से तक पहुंच रही है जिसके कारण ट्रेड यूनियन एकता और शक्तिशाली तथा दृढ़ होती जा रही है. यह बैठक, मजदूरवर्ग का आह्वान करती है कि वे एकजुट संघर्ष की इस भावना को जनवादी ताकतों के सहयोग से आगे बढ़ाएं ताकि मजदूरवर्ग की मांगें तथा आम जनता की मांगों को एक साथ मिलाकर, कांग्रेस(आई) सरकार की नीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली संघर्ष का निर्माण किया जा सके.

भारत के मजदूरवर्ग, एकजुट कारर्वाई के इतिहास में एक और नया मिसाल कायम किया जब इस वर्ष अगस्त और सितम्बर में उसने देश की जनवादी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंध्र प्रदेश के एन टी रामाराव सरकार को गैर कानूनी और मनमानी ढंग से बर्खास्त करते हुए जनमत की उपेक्षा करने की कांग्रेस(आई) साजिशों को, नाकामयाब किया. सीटू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने 25 अगस्त को 'जनतन्त्र बचाओ दिवस' मनाने का आह्वान किया जिसमें आठ राज्यों के मजदूरवर्ग ने हड़ताल के माध्यम शामिल हुए. 20 सितम्बर के भारत बन्द के आह्वान का समर्थन करते हुए सीटू तथा अन्य पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने इस कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए मजदूरवर्ग का आह्वान किया. आंध्र प्रदेश की जनता व मजदूरवर्ग के निरंतर संघर्ष एवं देश की मजदूरवर्ग व जनवादी शक्तियों की समर्थन के कारण ही एन. टी. आर. सरकार की पुनर्बहाली सम्भव हो सका.

यह बैठक इस बात को भी नोट करती है कि मजदूरवर्ग को जागरुक करते हुए उन्हें एकवद्ध करने के काम को गम्भीरता से पूरा करना है. पृथकतावादी ताकतों के बढ़ते गतिविधियों तथा सत्ताधारी सरकार की बढ़ते तानाशाही रुझानों के खिलाफ मजदूरवर्ग के बीच विचारधारात्मक अभियान चलाना सीटू के लिए जरूरी हो गया है ताकि उनके एकजुट कारर्वाई, मजदूर-वर्ग में व्याप्त रोष को वाम व जनवादी ताकतों को विकसित करने के काम में लगा सकें.

इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि राष्ट्रीय अभियान समिति सिर्फ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का ही प्रतिनिधित्व करती है जबकि बहुत सारे फेडरेशन किसी भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से युक्त न रहने के कारण अभियान समिति की रोजमर्रा की गतिविधियों के दायरे में नहीं लाई जा सकती जो अब एक तात्कालिक जरूरत बन गई, यह बैठक एक बार फिर कन्फेडरेशन बनाने के आह्वान को दोहराती है तथा सभी ट्रेड यूनियन केन्द्र व राष्ट्रीय फेडरेशनों से इस पर गौर करने की अपील करती है ताकि आम नीति मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हुए देश की अर्थनीति, उद्योगों व उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण सवालों के प्रबन्धन के लिए विकल्प नीतियाँ बनाई जांय जिसके आधार पर मजदूरवर्ग के एकजुट कारर्वाई को आगे बढ़ाई जा सके.

किसानों व खेत मजदूरों के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक देश के विभिन्न भागों में, अन्य संगठनों के सहयोग से संयुक्त संघर्ष चलाने के लिए, अखिल भारतीय

किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन को बधाई देती है. यह बैठक केन्द्र सरकार की सातवीं योजना के उद्देश्य पत्र में गरीबी दूर करने की तथाकथित रणनीतिओं के खोखलेपन और धोखाधड़ी की तीव्र भर्त्सना करती है. अपने इस वर्गस्वार्थी दृष्टिकोण के कारण ही पिछले सारी योजनाएं विफल रही है. कथित भूमि सुधार कार्यक्रम, किसानों व खेत-मजदूरों के व्यापक हिस्से को बर्बादी से बचा नहीं पाई है.

इसके विपरीत, सरकार ने कृषि लागतों की कीमतें बढ़ाई है तथा करों के बोझ भी बढ़ी है जबकि उपभोक्ता सामानों की कीमतें बढ़ती ही जा रही है तथा कृषि उत्पादन के खर्चों में भी बृद्धि हुई है. सरकार किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य से बंचित कर रही है. जबकि कृषि लागतों के लिए समूचित व्यवस्था का लाभ जमिन्दारों के हाथों तक ही पहुचकर रह जाते है, किसान भारी कर्ज के बोझ में डुबते चले जा रहे हैं. हजारों बटाइदारों को उनके जमीनों से उच्छेद किया जा रहा है जिसे वे बर्षों से जोतते रहे हैं. खेत मजदूरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है पर सरकार जमींदारों के दबाव में आकर उनके लिए व्यापक केन्द्रीय कानून बनाने से मुकर रही है. इसके ऊपर, गुंडों और पुलिस की मदद से जमींदारों ने किसानों व खेतमजदूरों के संघर्ष को बेरहमी से कूचल रहे हैं जातिवादी दंगों की आड़ में उनपर जघन्य अत्याचार चला रहे हैं. किसानों व खेत मजदूरों को इन अत्याचारों को झेलते हुए जबर्दस्त संघर्ष जारी रखने के लिए, उन्हें बधाई देने के साथ साथ यह बैठक सरकार से मांग करती है कि किसानों को उनके उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिए जायं, खेतमजदूरों को उचित न्यूनतम मजदूरी दिये जाएं तथा उनके लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाई जाय व भूमिसुधारों को सख्ती से लागू कर फालतू जमीनों को भूमिहिनों में बांट दिये जाय. यह बैठक, राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे किसानों व खेतमजदूरों के संघर्ष के साथ सम्पूर्ण एकजुटता का इजहार करें.

काम के घंटे सम्बन्धी आइ एल ओ कन्वेन्शन पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा भारत सरकार की ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती है कि ब्रिटिश राज में भारत के मजदूरों पर थोपे गए भेदपूर्ण बर्ताव जो उद्योगों में काम के घंटे सम्बन्धी आइ एल ओ कन्वेशन न. 1, 1919 में अपनाया गया था, आज तक चलने दिया जा रहा है. इस भेदपूर्ण बर्ताव का फायदा उठाकर बहुत सारे औद्योगिक मजदूरों को 8 घंटे की कार्यदिवस या 48 घंटे की कार्यसप्ताह से बंचित किया गया हैं.

1947 में भारत की आजादी तथा देश का भारत व पाकिस्तान में विभाजित होने के साथ साथ ही यह भेदपूर्ण धारा खुद ब खुद समाप्त हो जानी चाहिए थी. पर भारत सरकार ने जब 1948 में फैक्ट्री कानून में संशोधन की तो भारतीय रेल के लोको रनिंग शेडों के कर्मचारियों को इस कानून के प्रावधानों से बाहर रखा गया और इस तरह उनपर एच ओई आर द्वारा मनमानी ढंग से तय किये गये काम के घंटे थोप दिए गए तथा हजारों रेल मजदूरों को बिना पैसे के प्रतिमाह 23 घंटे अधिक काम करने में मजबूर किया गया. दिन में आठ घंटे के काम के मांग पर देश भर के रेल मजदूरों ने 1960, 1968 व 1974 में हड़ताल की. 1973 में लोको रनिंग स्टाफ ने 10 घंटे के काम की मांग पर कई बार हड़ताल किए. पर सरकार ने उनके साथ हुई समझौते से मुकर गई और एकबार फिर उनपर 16 से 20 घंटे प्रतिदिन काम के घन्टे थोप दी. काम के घंटे घटाए जाने सम्बन्धी सभी आंदोलनों को बेरहमी से कूचला गया. अन्य तबके के औद्योगिक मजदूर भी हैं, जैसे कृषि पथ व अंतर्देशीय जल परिवहन जिसमें सामुद्रिक ट्रलारों में काम करनेवाले मछुआरे भी है, जिन्हें 8 घंटे के काम की सुविधा तथा आइ एल ओ कन्वेन्शन 1 के तहत औद्योगिक मजदूरों को प्राप्त अन्य सुविधाओं, से बंचित किया जाता है संविधान की धारा 14 तथा धारा 23 के मुताबिक भारत सरकार की भी एक विशेष जिम्मेदारी है.

यह बैठक आइ एल ओ कन्वेन्शन की इस भेदपूर्ण धारा की अविलंब रद्द करने की तथा उन मजदूरों को, जो रीति के तौर पर या अन्य कारणों से कम काम के घंटे उपलब्ध कर लिए हों छोड़कर सभी औद्योगिक मजदूरों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे के काम को लागू करने की मांग करती है ताकि और अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके जिससे देश में बढ़ती बेरोजगार की स्थिति में कुछ सुधार लाई जा सके. यह बैठक अपने सम्बद्ध यूनियनों को निर्देश देती है कि काम के घंटे घटाए जाने तथा रोजगार के नये अवसर उत्पन्न किए जाने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू करें.

महाराष्ट्र के पावरलूम कर्मचारियों के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक महाराष्ट्र सरकार की तीव्र भर्त्सना करती है जो पावरलूम मालिकान से सांठ-गांठ कर पावरलूम मजदूरों के न्यूनतम वेतन में सुधार किए जाने की अपने ही 1 अगस्त 1984 के विज्ञप्ति को लागू न करने की साजिश कर रही है.

यह बैठक, महाराष्ट्र के पांच लाख पावरलूम मजदूरों को गर्मजोशी से अभिनन्दन करती है जो संशोधित न्यूनतम वेतन को लागू किए जाने की मांग पर संघर्ष कर रहे हैं, और खासकर ईछलकरंजी तथा उसके आस-पास के केन्द्रों के मजदूरों

को बधाई देती है जो सीटू की अगुवाई में तालाबन्दियों एवं प्रबंधकों के गुन्डों के हमले का मुकाबला करते हुए जबर्दस्त संघर्ष चला रहे हैं

न्यूनतम वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को सरकार टालती रही और पावरलूम मजदूरों के एकजुट कार्रवाई जिसकी समाप्ति 9 मई 1984 के राज्यव्यापी हड़ताल में हुई तथा अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिए जाने के बाद ही, सरकार इन सिफारिशों को मानने में बाध्य हुई तथा न्यूनतम वेतन को संशोधित करते हुए विज्ञप्ति जारी की. पर दो सप्ताह के अन्दर ही, पावरलूम मालिकान के दवाब में आकर, जिनमें बहुतों ने अपने करघा को बन्द भी कर दिया था, सरकार ने गैर-कानूनीरूप से अपने ही आदेश को रद्द करते हुए इस सवाल को न्यूनतम वेतन सलाहकार निकाय को सौंप दिया. उच्च न्यायालय ने सरकार की इस कार्रवाई को अवैध घोषित किया. पर सरकार, इस संशोधित न्यूनतम वेतन लागू न करने के लिए मालिकों को उकसा रही है.

यह बैठक, महाराष्ट्र सरकार से संशोधित न्यूनतम वेतन को अविलम्ब लागू करने की मांग करती है. यह बैठक सभी सीटू यूनियनों से खासकर अन्य राज्यों के पावरलूम उद्योग के यूनियनों से महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों के साथ एकजुटता का इजहार करने का आह्वान करती है.

भारतीय नाविकों के मांग पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को संपन्न सीटू की यह जनरल कांउसिल बैठक फारवार्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ-इंडिया के 9 सूत्री मांगों के प्रति उदासीन रुख तथा एस. एम. नंदा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में टाल मटोल और विलंबकारी रवैया अख्तियार करने के लिए भारत सरकार की निंदा करती है. यद्यपि इस कमेटी की सिफारिशों से नाविकों को थोड़ा ही फायदा है, फिर भी हड़ताल सहीत आंदोलन के लगातार कार्रवाई तथा प्रधानमंत्री निवास पर धरना दिए जाने के बावजूद सरकार इसे लागू करने में ढुलमुल रवैया अपना रही है. साथ साथ सरकार ने नाविकों के अन्य मांगों पर भी समझौते के लिए कोई कदम नहीं उठाई है. नाविकों के नियमित रोजगार की कमी पहले से ही है, उस पर मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट 1958 के धारा 102 में हाल में किए गए संशोधन के कारण विदेशी जहाजों में भारतीय नाविकों को आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्ति के सवाल को कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों छोड़ दिया गया जिससे स्थिति और भी नाजुक हो गई है.

भारतीय नाविकों के जायज मांगों को मान लेने के लिए सरकार से मांग करते हुए यह बैठक सीटू यूनियनों का आह्वान और अन्य सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे भारतीय नाविकों के संघर्षों को प्रत्यक्ष और लगातार समर्थन दें.

केरल के परंपरागत उद्योगों के मजदूरों के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितबर 1984 को संपन्न सीटू की यह जनरल कांउसिल बैठक केरल के करूणाकरन सरकार तथा केन्द्र की कांग्रेस (आई) सरकारों की तीव्र भर्त्सना करती है जिनके पतनशील नीतियों के कारण काजू, नारियल जटा, हथकरघा, शिल्पकार मछली, ताड़ी, आदि जैसे राज्य के परंपरागत उद्योगों को बर्बाद कर रही है केरल के इन उद्योगों में नियुक्त 20 लाख मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए सरकार की नीतियों में बदलाव की मांग करते हुए यह बैठक सीटू यूनियनों का आह्वान तथा अन्य ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ इन परंपरागत उद्योगों को बचाने के लिए मजदूरों द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष के साथ एकजुटता का इजहार करें.

जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक देश भर के 2.5 लाख बहादुर जूट मजदूरों को उनके 84 दिनों की शानदार हड़ताल के लिए अभिनंदन करती है जिसके जरिये उसने 17 अप्रैल' 1984 को जूट सेठों को समझौते के लिए मजबूर किया. लम्बे अवधि तक तालाबंदी के बाद जब मिलों को फिर खोला जा रहा था उस स्थिति में मजदूरों ने हड़ताल पर जाने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखायी.

जूट उद्योग को राष्ट्रीयकरण किए जाने तथा 1979 के त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने व नये सूत्री मांगपत्र पर समझौते की मांग पर शुरू की गई इस हड़ताल ने सभी ट्रेड यूनियनों को एकबद्ध किया. यद्यपि जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग आम जनता की मांग बन गई जिसके पीछे तमाम विपक्षी पार्टियों का तथा बहुत सारे बिरादराना संगठनों का भी व्यापक समर्थन रहा. फिर भी भारत सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाने से इंकार किया जिससे कई लाख मजदूरों तथा लाखों जूट उत्पादकों के भारी शोषण जारी रखने के लिए जूट सेठों को प्रोत्साहन मिला.

प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार की सहयोगितापूर्ण भूमिका से हड़ताली जूट मजदूरों को काफी मदद मिली. अपने आदत से लाचार जूट सेठों ने एकबार फिर समझौते का उल्लंघन करने तथा कच्चे जूट के कमी के नाम पर मजदूरों को बेरोजगार बनाने की अपनी पुरानी खेल में लगे हुए है. जबकि एक ओर आर्थिक लाभ सम्बन्धी इस समझौते को लागू करने में मालिक टाल मटोल कर रहे हैं दूसरी ओर ले आफ करके तथा मशीनों को बंद करके मजदूरों को बेरोजगार बनाने की साजिश में लगे हैं. दरअसल, कच्चे माल की कमी की

श्रोड़ में इजारेदारों ने कच्चे जूट की जमाखोरी करते हुए चोर दरवाजे से उसे बेचकर बेतहाशा मुनाफा लूटा है.

यह बैठक इस बात को नोट करती है कि बंगाल चटकल मजदूर यूनियन द्वारा इस जमाखोरी के खिलाफ तत्काल कदम उठाते हुए इसे समान रूप से पुनर्वितरित किए जाने की मांग पर केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की है. इस उद्योग की तबाही के कीमत पर इजारेदारों के हितों की रक्षा की सरकार की इन नीतियों की यह बैठक तीव्र भर्त्सना करती है.

यह बैठक प. बंगाल में हुए समझौते के तहत उपलब्ध सुविधाएं विभिन्न राज्यों में लागू किए जाने की मालिकान के आश्वासन को पूरा करने में मालिकों को मजबूर करने के लिए विभिन्न राज्यों में चल रहे जूट मजदूरों के संघर्ष को सुलझाने में सरकार की उदासीन रूख की भी तीव्र निंदा करती है. संघर्षरत मजदूरों के प्रति सम्पूर्ण समर्थन का इजहार करते हुए यह बैठक समझौते के तहत उपलब्ध सुविधाओं को देश के तमाम जूट मजदूरों को पूरी तरह उपलब्ध कराने के लिए जूट मालिकान से मांग करती है.

यह बैठक जूट उद्योग को कच्चे जूट के व्यापार तथा जूट की निर्यात सहित, राष्ट्रीयकरण की मांग को फिर से दोहराती है तथा अपने राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे जूट मजदूरों के संघर्ष में सक्रीय रूप से सहयोग दें.

कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक, कपड़ा उद्योग में भयानक संकट जिसके कारण दसियों हजार मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, पर गहरी चिंता प्रकट करती है. इस संकट से न केवल फैक्ट्री के मजदूर बल्कि इस व्यवसाय से जुड़े लाखों अन्य लोग भी प्रभावित हैं.

सरकारी अनुमान जो असलियत को कम करके आंकती है, जिसमें आकस्मिक व बदली मजदूरों को छोड़ दिया गया है, के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पौंडिचेरी, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश व प. बंगाल के विभिन्न मिलों को बन्द कर दिए जाने के कारण एक लाख दस हजार मजदूर बेरोजगार हो गए. इस संकट का व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाई जा सकती है कि इससे देश के तमाम कपड़ा उत्पादन केन्द्र प्रभावित है. सच्चाई तो यह है कि सवा लाख से भी अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. बम्बई में 13 मिलों का अधिग्रहण के बावजूद, पिछले हड़ताल के बाद पचास हजार से भी अधिक मजदूर अभी भी बेरोजगार हैं.

पिछले कई सालों से पनप रही यह संकट का कारण सरकार की नीतियां है जिसने जीवन के लिए मूल जरूरत के इस महत्वपूर्ण उद्योग को मुद्रास्फीति और कपड़ा सेठों के मुनाफाखोरी और लूट का जरिया बनने दिया जिससे कपड़े की कीमत आम जनता की पहुंच से बाहर चली गई. परिणाम स्वरूप उपलब्धता घटते जाने के बावजूद भी कपड़े की खपत घटती चली गई. इसका स्पष्टीकरण इस तथ्य से होता है कि जब 1978 में सूती कपड़े की औसत मूल्य 5.96 रू प्रति मीटर था तो प्रति व्यक्ति खपत 11.60 मीटर रहा पर जब 1982 में औसत मूल्य बढ़कर 8.22 रू प्रति मीटर हो गया तो प्रति व्यक्ति खपत घटकर 9.40 मीटर हो गया.

इस स्थिति में, जब आम जनता को कम कीमत वाले कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा सेठों ने देशी बाजार की इस जरूरत को नजरअन्दाज करते हुए अधिक मुनाफे के लिए विदेशी बाजार की तलाश में है. बहरहाल, विदेशी साम्राज्यवादी देशों ने, खासकर अमरीका तथा योरोप के देशों ने अपने संरक्षणात्मक नीतियों के कारण भारत से सूती वस्त्रों की खरीद में भारी कटौती कर दी है. अफ्रीका सहित इन देशों में निर्यात, जो 1976-77 में 26220 लाख रु. का था वह 1982-83 में 50 प्रतिशत घटकर 13450 लाख रु. हो गया. इस अवधि में सोवियत रूस में निर्यात बढ़ने के कारण ही इस उद्योग को बचाना संभव हुआ. स्थिति को और भी संकटपूर्ण बनाने के लिए, मालिकान फैक्टियों का आधुनिकीकरण के लिए चिल्ला रहे हैं इससे हजारों और भी मजदूर बेरोजगार बना दिए जायेंगे.

इस बैठक की यह राय है कि कपड़ा उद्योग को उन इजारेदारों के हाथों में रहने नहीं दिया जा सकता जिसने बेतहाशा मुनाफाखोरी की अपनी मुहिम से इसे बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया है. यह बैठक समूचे कपड़ा उद्योग को राष्ट्रीयकरण किए जाने की अपनी मांग को दोहराती है. बहरहाल, इस अधिकारी तन्त्र और भ्रष्ट प्रबंधन की मौजूदगी में राष्ट्रीयकरण से समस्या का समाधान नहीं हो सकता जैसा कि एन टी सी में देखा जा चुका है इसलिए बैठक की यह मांग है कि राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ सभी स्तर पर समानता के आधार पर प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता भी हो. यह बैठक अपने राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है तथा अन्य ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि मजदूरों के व्यापक हिस्से को लामबन्द करते हुए उपयुक्त मांगों के लिए एकजुट संघर्ष को तीव्र करें.

प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक अपने राज्य कमेटियों व सम्बद्ध

यूनियनों का केन्द्रित ध्यान 30 दिसम्बर 1983 को श्रम मन्त्रालय द्वारा पारित प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की योजना सम्बन्धी प्रस्ताव पर आकर्षित करती है. वर्तमान योजना, 1975 या 1977 के पुराने योजनाओं से, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों के हिस्सेदारी के नाम पर उन पर बढ़े हुए काम के बोझ थोपने की साजिश थी, अलग नहीं है. पिछले योजनाओं की तरह, वर्तमान योजना में भी प्रतिनिधित्वकारी मंचों में मजदूरों के सही प्रतिनिधि चुने जाने के लिए गुप्त मतदान के जरिए को सिर्फ नामंजूर ही नहीं किया गया है बल्कि संरक्षण प्राप्त यूनियनों से अपने पसन्द के प्रतिनिधि चुनने के प्रबंधकों को एकतरफा अधिकार दिया गया है.

पहली योजना घोषित किए जाने के बाद ही, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के कुप्रबन्ध तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को मद्देनजर रखते हुए सीटू ने यह प्रस्ताव किया था कि प्रबंधन में मजदूरों की हिस्सेदारी समानता के आधार पर होना चाहिए.

इस वर्तमान परिस्थिति में, तालाबन्दी, मिलबन्दी, छंटनी तथा औद्योगिक रुग्णता की घटनाएं बढ़ रही हैं तथा उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं जिससे न केवल हजारों मजदूर बेरोजगार बनाये जा रहे हैं बल्कि उत्पादन में भी हानि हो रही है. जिसका अर्थनीति और जनता पर बुरा असर पड़ रहा है. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधन में समानता के आधार पर, हिस्सेदारी की जिम्मेदारी मजदूरों को भी लेनी है. जनता के हितों को देखते हुए, निजी क्षेत्र के बड़े बड़े सेठों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्ट प्रबंधकों को राष्ट्रीय सम्पत्ति की इस लूट को जारी रखने की इजाजत, ट्रेड यूनियनें नहीं दे सकती.

यह बैठक, इसलिए एकबार फिर अपने इस विचार को दोहराती है कि निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधन में बोर्डस्तर सहित सभी स्तर पर, उत्पादन, बिक्री, खरीद, मूल्य निर्धारण आदि में समानता के आधार पर मजदूरों की सहभागिता में सीटू राजी है. यह बैठक, अपने सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि ऊपर दिये गए मांगों के आधार पर मजदूरों को वे शिक्षित करें.

केंद्र सरकार कर्मचारियों के सन्घर्ष पर

केन्द्र सरकार कर्मचारियों पर, उनके नौकरी तथा जीवन यापन स्तर पर हो रहे बढ़ते हमले को यह बैठक गम्भीरता से नोट करती है. जबकि महंगाई भत्ते की बकाया चार किश्तों को नकद भुगतान अभी तक नहीं की गई है, सरकार महंगाई पर रोक लगाने के लिए भी कोई कारगार कदम नहीं उठा रही है. इस बीच महंगाई भत्ते का पांचवा किश्त भी बकाया पर गया है.

केन्द्र सरकार कर्मचारी इस बात से असतुष्ट हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता सम्बन्धी प्रस्तावित अंतरिम रिपोर्ट, वादे के मुताबिक अक्तूबर 1984 में पेश नहीं की जा सकी. इसलिए वे अंतरिम राहत के दूसरे किस्त की मांग किए हैं और इसके लिए आंदोलन कर रहें हैं.

रोजगार की सम्भावनाओं को घटाने तथा वर्तमान स्टाफ पर काम के बोझ बढ़ाने के सवाल पर भी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ती जा रही है. पिछले कई सालों से रिक्त पदों में बहाली नहीं की जा रही है और अब स्थायीरूपी कर्मों को तथा नये निर्माण कार्यों को भी ठेका मजदूरों को दिया जा रहा है. इस तरह न केवल केन्द्र सरकार कर्मचारियों के मौजूदा शक्ति पर ही दबाव पड़ रहा है बल्कि बेरोजगारों की लम्बीकतार को सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं घटती जा रही है.

बोनस के सवाल पर केन्द्र सरकार कर्मचारियों के तमाम हिस्सों का एक संयुक्त मंच पर न आ पाना एक चिंता का विषय है. रेल तथा कुछ अन्य विभागों के लिए उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस तथा बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिनों के एडहॉक बोनस देते हुए सरकार केन्द्र सरकार कर्मचारियों को विभाजित करने में कामयाब रही. केन्द्र सरकारी कर्मचारी आस्थगित वेतन के रूप में न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस के लिए संघर्ष कर रहे थें.

जनरल काउंसिल की यह बैठक इस बात को नोट करती है कि केन्द्र सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा इन बुनियादी मांगों को हासिल करने के लिए एकजुट होने की हर सम्भव कोशिश कर रहें है तथा धरना एवं अन्य कार्यक्रम चला रहे हैं यह बैठक केन्द्र सरकार कर्मचारियों के जायज संघर्ष को सम्पूर्णरूप से समर्थन करती है.

रेल कर्मचारियों के संघर्ष के साथ एकजुटता पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक रेल कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष को नोट करती है जिसका प्रतिफलन रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा आयोजित पोस्टकार्ड अभियान तथा प्रदर्शन कार्यक्रम, भारतीय रेल मजदूर संघ द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का फैसला तथा ए आई आर एफ द्वारा 28 सितम्बर 1984 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला जिसे अंततक सरकार द्वारा बोनस की मांग पर समझौते के कारण वापस ले लिया गया, के माध्यम देखा गया. सार्वजनिक उद्योगों के कर्मचारियों के समान वेतन देने के सवाल पर मार्च 1983 तक अपना अंतिम निर्णय देने के बादे से सरकार मुकर गई तथा इस सवाल को चतुर्थ वेतन आयोग को इस आश्वासन के साथ सौंप दी कि इसकी सिफारिशें अक्तूबर' 84 तक प्रकाशित कर दी जायगी. पर जिस तरीके से इस सवाल को वेतन आयोग द्वारा प्रेषित प्रश्नमाला में स्थान दिया गया इससे

यह आशंका पैदा होता है कि अक्तूबर 1984 तक भी इस आशय पर अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं लिया जायगा. इसलिए, अंतरिम राहत की एक और किस्त की भुगतान की मांग की गई है. इसके अलावा, अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों की तरह रेल मजदूर भी महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों की नकद भुगतान न होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. पर दुःख की बात यह है कि रेल मजदूरों के तमाम संगठन अपने साझा मांगों को लेकर आपस में एकता कायम करने में असफल रहें.

इस एकता की कमी के कारण रेल मजदूरों के ट्रेड यूनियन आंदोलन, बढ़ते रेल दुर्घटनाओं से जिसमें हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते है, यात्रियों के दुर्दशाओं, से अप्रभावित रहें और यही वजह है कि वे जनता से अलग होते गए. इस स्थिति का पूरा फायदा उठाकर केन्द्र की कांग्रेस (आई) सरकार सुरक्षा के नाम पर यांत्रिकरण तथा कम्पूटराइजेशन की नीति अपना रही है तथा अनुशासन के नाम पर रेल मजदूरों पर दंडात्मक कार्रवाइयां चला रही है. यद्यपि रेल मंत्री ने यह बता दिया है कि इससे 6 लाख रेल मजदूरों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है ऐसा लगता है कि रेलवे ट्रेड यूनियन आंदोलन स्थिति की गम्भीरता को समझ नहीं पायें.

रेलवे ट्रेड यूनियन आंदोलन की इन कमजोरियों को तभी मिटाया जा सकता है जब रेल मजदूरों के जायज मांगों को लेकर लड़नेवाले सभी ट्रेड यूनियन संगठन आपस में एकता कायम करने तथा जन संगठनों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए गम्भीरता से प्रयास करें. यह बैठक इस बात को नोट करती है कि कई संगठन जो पहले 1974 में गठित एन सी सी आर एस में शामिल थे अब फिर रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय अभियान समिति के मंच पर फिर से एकजुट हुए हैं. यह एक उत्साहजनक प्रयास है तथा इसे और व्यापक व शक्तिशाली बनाने की प्रयास जारी है.

यह बैठक, इन तमाम संगठनों से फिर से उस एकता का निर्माण की अपील करती है जो 1974 के संघर्ष के समय तोड़ दिया गया था. रेल मजदूरों के जायज संघर्ष को सम्पूर्ण रूप से समर्थन देने का भी यह बैठक आश्वासन देती है.

राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को संपन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 4 सितम्बर के सफल देश व्यापी हड़ताल के लिए राज्यसरकार कर्मचारियों का अभिनन्दन करती है.

विभिन्न राज्य सरकार के कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि महंगाई के कारण उनके असल वेतन घटती जा रही है और यह केन्द्र की कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा अपनाये जा रहे नीतियों का सीधा नतीजा है. इसलिए केन्द्र की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह राज्यों को और अधिक कोषों की मुहैया करें जिससे कि केन्द्रीय महंगाई-भत्ते की हर किस्त के भुगतान के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को उतना ही रकम का भुगतान कर सके ताकि राज्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन के स्तर में समानता रहे. इस तर्क के औचित्य को आठवें वित्त आयोग ने स्वीकार किया है और इसलिए विभिन्न राज्यों के लिए अलग कोषों के प्रावधान किए गए हैं ताकि महंगाई-भत्ते की बकाया भुगतान पूरा किया जा सके.

एक अन्य मांग जो राज्य सरकारी कर्मचारियों के असन्तोष का कारण है, वह है बोनस. सरकारी कर्मचारियों को बोनस कानून 1965 के दायरे से बाहर रखे जाने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस की मंजूरी और फिर अन्य विभागीय कर्मचारियों को और अन्त तक बाकी बचे केन्द्र सरकारी कर्मचारियों को एडहॉक के आधार पर 15 दिनों की बोनस की मंजूरी उसके भेदपूर्ण बर्ताव को ही दिखाता है और राज्यों को भी अपने कर्मचारियों को बोनस कानून के मुताबिक न सही कम से कम इसी तरह के बोनस देने के लिए जो अतिरिक्त पैसे की जरूरत थी उसे देने से केंद्र सरकार ने इन्कार कर दिया.

आखिरकार राज्य सरकार कर्मचारियों ने मजबूर होकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का फैसला लिया, उसके बाद पता चला कि भारत सरकार मनमानी ढंग से आठवें वित्त आयोग के फैसले को भी बदलते हुए 1984-85 के लिए दिए जाने वाले पैसे को भी रोक लिया.

यह बैठक बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों का अभिनन्दन करती है जिन्होंने 24 दिनों के लगातार हड़ताल के बाद बोनस, महंगाई-भत्ते की नकद भुगतान तथा अन्य मांगों को, बहादुरी के साथ अत्याचारों को झेलते हुए, हासिल किया.

यह बैठक राज्य सरकार कर्मचारियों के संघर्ष के साथ सम्पूर्ण एकजुटता का इजहार करती है.

कामगार महिलाओं के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को संपन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक महिलाओं के लिए कल्याण मूलक योजनाएं बनाए जाने, उनके लिए रोजगार क्षेत्र खोलने, उनके खिलाफ भेद-भाव को खत्म करने तथा उनके खिलाफ अपराधों को नियन्त्रित करने में सरकार की असमर्थता की तीव्र भर्त्सना करती है.

महिलाओं की बिगड़ती बेरोजगारी की स्थिति इस तथ्य से प्राप्त की जा सकती है कि नौकरी की तलाश करने वाली

महिलाओं की संख्या प्रतिवर्ष 4 लाख बढ़ रही है. जनवरी 1981 की शुरू से जनवरी 1984 तक बेरोजगारों की संख्या 23.45 लाख से 35.82 लाख हो गई है. मशीनीकरण व स्वचालन के कारण महिला कामगारों को ही छंटनी का मुख्य निशाना बनाया जाता है. यांत्रिकरण के कारण तम्बाकू उद्योग में हजारों महिलाएं बेरोजगार बना दिये गये है. नारियल जटा व अन्य उद्योगों में भी इसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ रहा है.

आई एल ओ कन्वेशन तथा समान वेतन कानून के बावजूद वेतन, पदोन्नति, काम के घण्टे आदि मामले में भेदपूर्ण बर्ताव अभी भी जारी है. विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सरकार महिलाओं को रात्रिकालीन सिफ्टों में काम करवाने को सोच रही है जबकि कानूनी रूप से इस पर रोक है. कृषि क्षेत्र सहित असंगठित उद्योगों के कामगार महिलाओं के लिए कानून बनाए जाने के आश्वासन के बावजूद अब तक कुछ नहीं किया गया जिससे न्यूनतम वेतन या अन्य मामूली सुविधाओं से भी उन्हें वंचित किया जा रहा है. यह बैठक सरकार की स्वरोजगार की पाखण्डी बात की निन्दा करती है क्योंकि यह भुखमरी व दुर्दशा का सामना कर रहे दसियों हजार महिलाओं के साथ एक भद्दा मजाक है.

यह बैठक महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को जिसमें दहेज के लिए हत्या की जंगलीपन भी शामिल है, को नियंत्रित करने में सरकार की अपराधीपूर्ण उदासीनता की तीव्र भर्त्सना करती है. ए आई डी डब्लू ए, ए आई सी सी डब्लू डब्लू तथा अन्य महिला संगठनों के जुझारू संघर्ष के कारण जब दहेज विरोधी कानून में सरकार को संशोधन लाने में मजबूर करने के बावजूद भी सरकार ज्वन्येट सिलेक्ट कमेटी की महत्वपूर्ण सिफारिशों को अमल में नही लाई जिसके कारण निहीत स्वार्थों द्वारा बहु बेटियों को जलाने की खतरनाक मुहिम आज भी जारी है. यह बैठक सरकार से मांग करती है कि ज्वयेंट सिलेक्ट कमेटी की तमाम सिफारिशों को दहेज विरोधी संशोधन बिल में शामिल किये जायं

यह बैठक सरकार से यह भी मांग करती है कि महिलाओं के रोजगार के क्षेत्र खोलने, महिलाओं के लिए वर्त्तमान कानूनों को लागू करने, मशीनीकरण व यौक्तिकीकरण के नाम पर छंटनी पर प्रतिबन्ध लगाने आदि के लिए फौरी कदम उठाएं तथा असंगठित उद्योगों के महिला कामगारों के लिए नया कानून बनाएं व कामगार महिलाओं के लिए महिला कल्याण अधिनियम बनाने पर चर्चा करें.

कामगार महिलाओं के बढ़ते बहादुराना संघर्ष की प्रशंसा करते हुए यह बैठक उनका आह्वान करती है कि वह अपने एकजुट संघर्षों को, अन्य जन संगठनों व जनवादी शक्तियों के साथ मिलकर और तीव्र व व्यापक बनाकर उनके मांगों को मानने में सरकार को मजबूर करें. यह बैठक अपने राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे महिलाओं की समस्याओं व मांगों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें, उनके कोआर्डिनेशन कमेटियां बनाएं तथा ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दें और उन्हें देश के मजदूरवर्ग आंदोलन की मुख्यधारा में शामिल करें.

कोयला मजदूरों के साथ एकजुटता पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक देश भर के सात लाख कोयला मजदूरों का गर्मजोशी से अभिनंदन करती है जिन्होंने तीसरे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते को लागू न किए जाने, एक दिन की हड़ताल के लिए आठ दिनों के वेतन में कटौती, तबादले, बर्खास्तगी, निलंबन जैसे दंडात्मक कार्रवाइयां, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर सी आई एस एफ द्वारा बर्बर दमन तथा कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक न बुलाए जाने के विरोध में 4 व 5 जून 1984 को 48 घंटे की शानदार हड़ताल की.

इंटक नेतृत्व ने इस हड़ताल को तोड़ने की जीतोड़ कोशिश की. बहरहाल, उनके इस गुमराह करने वाली प्रचार खुद इंटक के मजदूरों को भी भड़का नहीं सका जो इस हड़ताल में बड़ी संख्या में शामिल हुए. कई स्थानों में तो इंटक के मजदूरों ने सक्रीय रूप से हड़ताल में शिरकत की. इस हड़ताल ने यह साबित कर दिया कि कोयला उद्योग में इंटक अलग-थलग पड़ रहे हैं.

चेयरमैन एम एस गुजराल के अगुवाई में सी आई एल प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर मजदूरों पर दंडात्मक कार्रवाईयां चलाना शुरू कर दिया है. आठ दिनों के वेतन में कटौती, आकस्मिक मजदूरों की बर्खास्तगी तथा व्यापक रूप से चार्जशीट व निलंबन आदेश से मजदूरों के बीच व्याप्त रोष और भी तीव्र होता जा रहा है. मनमानी कार्रवाइयों के विरोध में समूचे कोयला क्षेत्र में विरोध कार्रवाई जारी है.

मजदूरों के जायज संघर्ष को कुचलने के लिए भारत सरकार ने ऐसमा लागू की. प. बंगाल को छोड़ कर तमाम कोयला क्षेत्र में सशस्त्र बल के जरिये आतंक राज चलाया जा रहा है.

सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक सरकार तथा सी आई एल अधिकारियों की इन बर्बर दमनात्मक कार्रवाइयों की तीव्र भर्त्सना करती है. कोयला खदान मजदूरों के खिलाफ उठाए गए इन दमनात्मक और दंडात्मक कदमों को भारत सरकार व कोलइंडिया मैनेजमेंट द्वारा तत्काल वापस लिए जाने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति ने जो अनिश्चित कालीन हड़ताल का आह्वान किया है उसे सीटू सम्पूर्ण रूप से समर्थन करती है.

मजदूरों के साथ टकराव की नीति अपनाने के कारण

कोयले के उत्पादन में भारी गिरावट आई है. कोयले के घटियापन के बारे में उद्योगपतियों ने भी खुलेआम शिकायत किये है. कोयला उत्पादन के आंकड़ों में सी आई एल प्रबंधकों द्वारा 2.5 फीसद की हेराफेरी की भी तीखी आलोचना हुई है.

ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार, संयुक्त संघर्ष समिति से बातचीत करने में मजबूर हुई तथा जे बी सी सी आई की बैठक बुलाने व ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों से कम्पनी स्तर की बैठक के लिए भी राजी हुई है. कोयला मजदूरों पर उठाए गए दण्डात्मक कार्रवाइयों पर पुनर्विचार करने की बात भी सरकार ने मान ली है.

सीटू यह नोट करती है कि ट्रेड यूनियनों को दिए गए इन आश्वासनों को लागू करने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को एक महीने का समय दिया है.

सीटू यह आशा करती है कि सरकार मजदूरों के प्रतिनिधियों को दिए गए इन वादों का सम्मान करेगी तथा उद्योग में स्थिति सामान्य बनाने का प्रयास करेगी. साथ साथ सीटू सरकार को यह चेतावनी देना चाहती है कि अगर वह इन आश्वासनों को लागू करने में असमर्थ रही तो कोयला मजदूरों के एकजुट आंदोलन के पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाएगा कि वे अनिश्चित कालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा कर दें

सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक अपने सभी सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे कोयला मजदूरों के पीछे लामबंद हों ताकि भारत सरकार को कोयला मजदूरों के मांगों पर समझौते के लिए बाध्य किया जा सके.

जे. के. उद्योग समूह के मजदूरों के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक जे. के उद्योग समूह के मालिकान द्वारा अपनाए जा रहे जघन्य मजदूर विरोधी रूख तथा नाजायज श्रम नीतिओं पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है. इस मालिक ने एक के बाद एक उद्योगों को बन्द कर कोषों को अन्य अधिक मुनाफे वाले धन्धे में लगाकर अपने लिए एक विशाल साम्राज्य कायम कर लिया है और टाटा बिरला के बाद ही इनकी गिनती होती है

कुछ ही दिन पहले, यू. पी. सरकार की सीधे संरक्षण और मदद से इसने जे. के. रेयन, कानपुर के मजदूरों पर सुनियोजित रूप से हमला चलाया. जे. के. रेयन मजदूर यूनियन (सीटू) के जुझारू संघर्ष को भाड़े के गुंडों के सहायता से भी तोड़ने में नाकाम रहने के बाद मालिकों ने अंततः 16 मई 1983 से जे. के. रेयन फैक्ट्री को बन्द कर दिया. इससे पहले, आधुनिकीकरण के नाम पर 9 महीने तक फैक्ट्री को बन्द रखने के बाद फिर से बन्द कर देना, जुझारू मजदूरों को भूखा रखकर उन्हें दूर भगाने की एक सुनियोजित साजिश थी जिससे कि वे रिलायंस टेक्सटाइल के ढांचे में अपने फैक्ट्री को फिर से चला सके.

दूसरा हमला जे. के. सिंथेटिक्स कोटा पर चलाया गया जहां आधुनिकीकरण का कार्यक्रम 1980 में ही शुरू किया गया था. जनवरी 1983 में प्रबंधकों ने और अधिक मुनाफे की लालच में करीब आधे अर्थात् 2500 मजदूरों की छंटनी की. इस फैक्ट्री से जिसके अब चार इकाई है, जे के समूह के सिमेंट, इस्पात आदि जैसे नये क्षेत्र में विस्तार में काफी मदद मिली. अपने नौकरी की सुरक्षा व बढ़े हुए काम के बोझ के खिलाफ हड़ताली मजदूरों के प्रतिरोध को यह मालिकान नहीं तोड़ सके. यद्यपि राजस्थान सरकार यह स्वीकार की कि उनसे इजाजत लिए बगैर किए जाने के कारण यह छंटनी गैरकानूनी थी फिर भी मजदूरों पर भारी दमन चलाने के लिए उसने अपनी पुलिस को लगा दी, तमाम कोटा को एक आतंक का शहर बना दिया गया और मजदूरों को जबरन काम पर वापस भेजा गया.

इस उद्योग समूह को 1982-83 में सार्वजनिक वित्त संस्थानों से 35.43 करोड़ रु का कर्ज मुहैया कराने का सरकार की इस कार्रवाई की यह बैठक तीव्र भर्त्सना करती है क्योंकि इससे मालिकों को नाजायज और श्रम-विरोधी रूख अपनाने की हिम्मत मिली. यह बैठक, कानपुर एवं कोटा के बहादुर मजदूरों का, जो मालिकान के इस दमनकारी नीतिओं के खिलाफ जबर्दस्त संघर्ष कर रहे है, गर्मजोशी से अभिनंदन करती है और भारत सरकार से अविलंब इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करती है.

एच ई सी कर्मचारियों के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के 17000 मजदूर कर्मचारियों को उनके 21 दिनों की सफल हड़ताल के लिए गर्मजोशी से अभिनंदन करती है.

हड़ताल की कामयाबी, मजदूरों के पीठ पर पिट्ठू इंटकी यूनियन द्वारा किए गए समझौते के खिलाफ मजदूर कर्मचारियों के बीच व्याप्त रोष का ही द्योतक है. बहरहाल, प्रबंधकों ने 10 गैर इन्टकी यूनियनों के संयुक्त अभियान समिति जिसने इस संघर्ष का नेतृत्व दिया, के साथ समझौता करने से इन्कार कर दिया. प्रबंधकों के इस अड़ियल रूख के कारण हड़ताल लम्बी खींच गई जिससे इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के उत्पादन में 10 करोड़ की हानि हुई.

बिहार सरकार ने 144 धारा लागू करते हुए कई ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. कांग्रेस (आई) समाज-विरोधी तत्वों ने मजदूरों को डराया धमकाया पर

मजदूर कर्मचारियों के दृढ़ एकता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया.

17 अगस्त को एच ई सी के कर्मचारियों कि समर्थन में रांची के लोगों ने हड़ताल की. इनके मांगों के समर्थन में चेयरमैन के समक्ष हजारों महिलाएं व बच्चों ने प्रदर्शन किया. कर्मचारियों के इस एकजुट शक्ति के सामने एच ई सी प्रबंधकों को झुकना पड़ा और संयुक्त अभियान समिति के साथ समझौता करने में इन्हें मजबूर होना पड़ा. इस तरह, पिट्ठू यूनियन को संरक्षण और बढ़ावा देने की प्रबंधकों की नीति को इस हड़ताल के जरिए एक जबर्दस्त धक्का दिया जा सका. हड़ताल को कारगार रूप से चलानें तथा मजदूरों में एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सीटू, हटिया मजदूर यूनियन को बधाई देती है.

सीटू की यह जनरल काउंसिल, एच ई सी कर्मचारियों से इस एकता को बनाये रखने की अपील करती है ताकि मजदूरों के अन्य बचे मांगों पर भी समझौता किया जा सके.

डाक-तार कर्मचारियों के सफल हड़ताल पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक डाक-तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को उनके 19 सितम्बर के सफल हड़ताल के लिए बधाई देती है.

आजादी के 37 साल बाद भी ब्रिटिश राज द्वारा चलाए गए इस औपनिवेशिक शोषण प्रणाली को जारी रखने के लिए यह बैठक भारत सरकार की भर्त्सना करती है.

यह दुःख की बात है कि इन कर्मचारियों द्वारा किए गए, भुगतान की जायज मांग को जो अन्य स्थायी कर्मचारियों को दी गयी है, सरकार ने ठुकरा दी है. यह भी अफसोस की बात है कि इन्हें दी जा रही महंगाई-भत्ते को भी सरकार ने 1973 से मनमानी ढंग से बंद कर दिया तथा अन्य केन्द्र सरकार कर्मचारियों को दिए गए अन्तरिम राहत से भी सरकार ने इन्हें बंचित किया. इन मांगों को तत्काल मान लेने की मांग करते हुए यह बैठक, अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा अपने मांगों के समर्थन में संघर्ष को आगे बढ़ाने के फैसले का जोरदार समर्थन करती है यह बैठक अपने सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान तथ अन्य ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे ई डी ए कर्मचारियों के इस संघर्ष को सम्पूर्ण समर्थन दें.

पंजाब व हरियाणा के प्रोजेक्ट मजदूरों के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को संपन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक नौकरी की सुरक्षा के लिए संघर्षरत पंजाब व हरियाणा के प्रोजेक्ट मजदूरों के संघर्ष को सम्पूर्ण रूप से समर्थन करती है. यह बैठक पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश की भी निन्दा करती है जिसमें बांध, प्रोजेक्ट, नहर, पुल व सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निर्माण कार्यों में नियुक्त पंजाब व हरियाणा के 30 हजार मजदूरों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत उपलब्ध सुविधाओं से बंचित किया गया है. अदालत के इस आदेश के कारण निर्माण मजदूरों को काम पर वापस लिए जाने सम्बन्धी मामले भी रद्द कर दिए जा रहे हैं.

यह बैठक 18 अगस्त को थेन बांध प्रोजेक्ट के मजदूरों, जो 2500 छंटनीग्रस्त साथियों के समर्थन में हड़ताल पर थे, पर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज व गोलीबारी की तीव्र भर्त्सना करती है, मजदूरों को उनके बहादुराना संघर्ष के लिए बधाई देते हुए यह बैठक सरकार से, सभी छंटे हुए कर्मचारियों को काम पर वापस लेने, सभी की नौकरी को सुरक्षित करने तथा निर्माण मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाए जाने की मांग करती है.

टायर उद्योग में उत्पादन में कटौती पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर '84 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक टायर उद्योग के मालिकान द्वारा सभी फैक्ट्रियों में ट्रकों के टायर के उत्पादन में 25 प्रतिशत कटौती के फैसले पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है. इससे रोजगार की स्थिति में और भी गम्भीर खतरा पैदा हो जायेगा और देशभर के हजारों मजदूरों के रोजगार का जरिया बंद हो जएगा. मोदियों ने उत्पादन तथा वेतनों में भारी कटौती और साथ-साथ ले-ऑफ, छंटनी भी शुरू कर दिया है.

उत्पादन में कटौती और मजदूरों को बेरोजगार बनाने की टायर सेठों का यह मिला आक्रमण, ज्यादा उत्पादन और बाजार का सिकुरते जाने का नतीजा है जो विकास के पूँजीवादी रास्ते और योजनाओं के दिवालिएपन को ही दिखाता है. बेतहाशा मुनाफे के लालच में पूँजीवादियों तथा सरकार ने सत्तर दशक की शुरुआत में टायर उत्पादन को दुगना बनाने की योजना बनाई और जब वह लक्ष्य हासिल हुआ तो देखा गया कि ट्रकों की उत्पादन तथा ट्रक परिवहन की विकास उम्मीद से बहुत कम रह गया और वर्तमान संकट उसीका परिणाम है. और संकट के इस बोझ को मजदूरों के कंधे पर लादा जा रहा है.

यह बैठक इस बात से हैरान है कि टायर सेठों के इस उत्पादन में कटौती और मजदूरों पर दबाव डालने के मिली-जुली साजिश को सरकार चुप बैठकर देख रही है. यह बैठक सरकार से इजारेदारों के इन प्रयासों को बन्द करने के लिए अविलंब कारगर कार्रवाई करने की मांग करती है.

यह बैठक, टायर उद्योग के मजदूरों का आह्वान करती है

है कि वह इन इजारेदारी हमलों का एकजुट होकर मुकाबला करें. यह बैठक इस उद्योग के सीटू यूनियनों को यह निर्देश देती है कि इस हमले के खिलाफ नौकरी और रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए सभी यूनियनों को लामबन्द करने के लिए अविलंब कार्रवाई करें.

मोदीस्टोन कर्मचारियों के संघर्ष पर

28 से 30 सितम्बर तक जयपुर में सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक देशभर के मोदीस्टोन कर्मचारियों, जो वेतन में बढ़ोत्तरी तथा नौकरी की सुरक्षा के जायज मांगों पर पिछले एक महीने से हड़ताल पर हैं, के संघर्ष को सम्पूर्ण रूप से समर्थन करती है. यह बैठक प्रबंधकों से यह मांग करती है कि वार्त्ताओं के जरिए अविलम्ब उनके मांगों पर समझौता किया जाय.

आई एल टी डी शाखाओं के क्लोजर पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर 1984 को संपन्न सीटू की यह जनरल कांउसिल बैठक इंडिया टोबेको लिमिटेड के प्रबंधकों की तीव्र भर्त्सना करती है जिन्होंने 1 नवंबर 1984 को अपने चिलाकालूरीपेट, गुंटूर ओंगोल तथा ताडगुटूर शाखाओं को बंद कर देने की नोटिस दी है जिससे 4500 मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे. प्रबंधकों ने यह कार्रवाई सिर्फ मजदूरों से छुटकारा पाने और इस तरह अपने मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से किया है क्योंकि प्रबंधन अपनी गतिविधियों को विभिन्न व्यापारियों के माध्यम जारी रखने की योजना बनाई है. प्रबंधकों ने इस तरह के मजदूर विरोधी कार्रवाई बहुत दिनों से चला रखा है. 1983 में भी इसने अपने चिराला फैक्ट्री तथा पारचूर डिपो को बंद करते हुए 6000 मजदूरों को बेरोजगार बना दिया. इससे पहले 1976 तथा 1980 में भी अपने 6 शाखाओं को बंद कर देने के कारण 4000 मजदूर प्रभावित हुए. प्रबंधकों के इस अत्याचार और हमले के खिलाफ चलाए जा रहे जुझारू संघर्ष का समर्थन करते हुए यह बैठक केन्द्र व राज्य सरकारों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने तथा मजदूरों के हितों में इन क्लोजरों को समाप्त करने के लिए कारगर कार्रवाई की मांग करती है.

भारत गोल्ड माईन मजदूरों के संघर्ष पर

जयपुर में 28 से 30 सितम्बर' 84 को सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक कोलार स्वर्णक्षेत्र के भारत गोल्ड माईन में पनप रहे संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करती है. घाटे और खर्चीले खननकार्य के नाम पर प्रबंधकों ने, भारत सरकार की निर्देश से, कुछ क्षेत्र में खननकार्य बन्द करते हुए मजदूरों को बीजी एम एल माईनिंग कन्सट्रक्सन कन्ट्रेक्ट डिविजन के राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में, स्थानांतरित किया जिससे मजदूर और उनके परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा, सरकार की नीतियों के मुताबिक, अवकाश, मृत्यु, इस्तिफे आदि के कारण स्थायीरूपी रिक्त पदों में बहाली न किए जाने के कारण भी मजदूरों की संख्या घटती जा रही है.

इस बैठक की राय में सरकार द्वारा पेश की गई घाटे की बात उसके अपने ही स्वर्णमूल्य निर्धारण की बेतुकि नीति के कारण है. जबकि अन्य स्वर्ण खदानों में सोने की कीमत देशी बाजार के दरों से ही तय होती है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र में इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव पर आधारित है जो भारतीय बाजार भाव से बहुत ही कम है और जिसे ब्रिटिश शासन काल में तय की गई थी और अभी तक जारी है.

इसलिए, यह बैठक, सरकार से सोने की एक जैसा मूल्य निर्धारण नीति अपनाने तथा कोलार क्षेत्र में भी भारतीय बाजार भाव के अनुसार सोने की कीमत तय करने, बन्द पड़े खननकार्य के सभी विभागों को फिर से खोले जाने तथा खदानों के रिक्त पदों में बहाली किए जाने की मांग करती है. भारत गोल्ड माईस एंप्लाइज यूनियन की अगुवाई में, इन मांगों के समर्थन में मजदूरों द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष का यह बैठक सम्पूर्ण समर्थन करती है.

वेतन में समानता के सवाल

केन्द्र सरकार मुकर रही है

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता के आधार पर सुधार किए गए वेतन मान की सुझाव संबंधी वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट अक्तूबर तक प्रकाशित करने का आश्वासन दिया था. अब वेतन आयोग को इस अंतरिम रिपोर्ट को पेश करने के लिए कहने के बजाय केन्द्र सरकार ने उसे एक और अंतरिम राहत दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा है. सरकार की इस श्रम विरोधी रूख की तीव्र भर्त्सना करते हुए नेशनल फेडरेशन ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एम्पलाईज, ए. आई आर एम एस एंड एम एम एस एम्पलाईज यूनियन, ए आई पोस्टल एम्पलाईज यूनियन IV एंड ईडीए, जी एस आई एम्पलाईज एसोशिएशन, ए आई ऑडिट एंड एकाउन्टस एसोशिएशन, आई टी एम्पलाईज फेडरेशन, ए आई सिविल एकाउन्ट एम्पलाईज एसोशिएशन तथा ए आई पोस्टल एकाउन्ट एम्पलाईज एसोशिएशन के नेताओं ने 22 अक्तूबर को जारी एक बयान में कहा है कि यह कर्मचारियों की वेतन में समानता मंजूर न करने की एक साजिश है, सरकार ने 1983 में भी इसी तरह की साजिश करते हुए चतुर्थ वेतन आयोग की घोषणा की थी. सरकार बकाया महंगाई भत्ते की नकद भुगतान के सवाल पर भी पीछे हट रही है. बयान में, जे सी एम के नेतृत्व के एक हिस्से के साथ समझौता करने के लिए भी सरकार की भर्त्सना करते हुए अविलंब 265 रू अंतरिम राहत दिए जाने की भी मांग की गई है तथा इसके समर्थन में देश भर में आंदोलन चलाने का आह्वान किया गया है.

(पृष्ठ 12 का शेष)

तुलनामूलक रूप से विश्लेषण करने पर विभिन्न शक्तियों के आपसी सम्बन्धों में बदलाव को हम देख सकेंगे. अगर हमारी सदस्यता नहीं बढ़ती या फिर वह घट जाती है तो इसके कारणों को खोज निकालना यूनियन के लिए जरूरी हो जाता है और तभी हम आंदोलन के माध्यम मजदूरवर्ग के शक्तियों के इस आपसी सम्बन्धों में बदलाव ला पायेंगे. इससे हम इसका भी जायजा ले सकते हैं कि वर्ग सहयोग की नीति पर नहीं वर्ग संघर्ष की नीति के आधार पर हम किस हदतक मजदूर वर्ग एकता कायम करने में कामयाब हुए हैं. इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि सम्बद्ध यूनियनों को हम सदस्यता अभियान चलाने तथा वार्षिक विवरणी में सदस्यता को सही रूप से दिखाने की अहमियत को समझायें.

किसी भी ट्रेड यूनियन संगठन के लिए जनतांत्रिक तरीके से काम करना सबसे महत्वपूर्ण बात है. हमें आशा है कि हमारे राज्य कमेटियां तथा हमारी यूनियनें इन जनवादी कार्यप्रणालियों को ही अपनाते हुए नीति निर्धारण में आम सदस्यों को भी शामिल करेंगे. सदस्यों को संगठनों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में नेतृत्व के तहत लाना और उन्हें फैसले लेने की प्रकिया में शामिल करना होगा और तबही हम अपने आधार को अधिक शक्तिशाली और व्यापक बना पायेंगे. यह भी हमें समझाना होगा कि अगर यूनियन जनवादी तरीके से काम करने में विफल हुई तो इससे नौकरशाही रूझानों को बढ़ावा मिलेगी और हमारे सब प्रयास व्यर्थ हो जायेंगे. इससे, इस देश के जनवादी संघर्षों के नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए वर्गीय दृष्टिकोण के तहत वर्ग को संगठित करने की हमारे काम को हम नहीं कर पायेंगे.

कामगार महिलाएं

मद्रास में आयोजित सीटू के चौथे सम्मेलन के समय से ही महिलाओं को संगठित करने तथा ट्रेड यूनियनों के कार्यकारिणी समितियों में उन्हें लिए जाने के बारे में बल दिया जाता रहा. पर स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ. मेरा सुझाव है कि हमारे वर्ग के इस महत्वपूर्ण तबके के प्रति उदासीनता समाप्त होनी चाहिए.

हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबन्ध

आपने गौर किया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ हमारे सम्बन्ध बढ़ रहे है. ऑल यूनियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियनस (सोवियत संघ) तथा ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस (चीन), दोनों के साथ हमारे संपर्क सुदृढ़ होता गया है. इस अवधि में, सीटू के बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल समाजवादी देशों में हुए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा ट्रेड यूनियन सम्मेलन में शिरकत की. विभिन्न देशों के बहुत सारे ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी सीटू केन्द्रीय कार्यालय में आये. सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयताबाद के सिद्धांतों के प्रति समर्पित हमारे कार्यकलापों के कारण हमारे आपसी सम्बन्ध बढ़ रहे हैं. इसे हमें और भी विकसित करना है.

हमारा कर्तव्य

इंदिरा सरकार की पांच साल की कार्यकाल अब समाप्त होने पर है पिछले पांच साल की कार्यकलपों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमति गांधी ने 1977 की अपनी हार से कोई सबक नहीं सीखी हैं. नीतियों में कोई बदलाव नहीं आई और उनकी तानाशाह भी बढ़ती रही. राष्ट्रपति शासन प्रणाली की भी बातें की जा रही है. इसलिए यह चुनाव मजदूरवर्ग तथा जनता को संगठित करने का एक और राजनीतिक संघर्ष समझी जा सकती है ताकि इस दमनकारी व अधिनायकवादी सरकार के खिलाफ उनके रोष, चुनावों में इस पार्टी के पराजय में जाहिर हो. पूंजीपति-सामंतिवर्ग की सरगना इस इजारेदारपरस्त तथा बहुराष्ट्रीय निगम परस्त श्रीमती गांधी की सरकार को उखार फेंकना सीटू के हर सदस्य का अहम कर्तव्य है क्योंकि यह ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों की रक्षा एवं लोगों की खुशहाली के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है.

प्रधानमंत्री की जघन्य हत्या की सीटू द्वारा तीव्र भर्त्सना

सीटू के उपाध्यक्ष पी. राममूर्ती तथा महासचिव समर मुखर्जी ने निम्नलिखित बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री की निर्मम हत्या की तीव्र भर्त्सना किया है.

"सीटू प्रधानमंत्री श्रीमति गांधी की कायरतापूर्ण और निर्मम हत्या की तीव्र भर्त्सना करती है. उनकी हत्या उनके अपने ही सुरक्षा दस्ते के दो जवानों के हाथों हुई जिनका आतंकवादियों से सम्पर्क बताया जा रहा है.

श्रीमती गांधी पिछले दो दशक से कांग्रेस (आई) तथा सरकार की नेतृत्व में थी. गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से उनकी भूमिका की हमारे देश के तथा विदेश के लोगों ने सराहना की जबकि साम्राज्यवादियों खासकर अमरीकी उनकी भूमिका से नाखुश थे.

दिन के उजाले में की गई यह हत्या समाजविरोधी आतंकवादियों के घिनौने साजिश को ही बेनकाब करता है जो साम्राज्यवादियों के मदद और उकसावे में राष्ट्र की एकता और सार्वभौमिकता को नष्ट करने की जघन्य साजिश में लगी हुई है. सीटू, अपने यूनियनों व देश के मजदूरवर्ग को इन साजिशों के खिलाफ चौकन्न रहने का आह्वान करती है ताकि साम्राज्यवाद के खिलाफ वर्षों के कठिन संघर्ष के जरिए हासिल देश की एकता व अखंडता नष्ट न होने पाय.

सीटू दिवंगत नेता के शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना का इजहार करती है."

(पृष्ठ 2 का शेष)

सात नवम्बर के आह्वान में इन लोगो को बिरादराना बधाई दी गई है जो अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं समाजिक प्रगति को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए जुझारू संघर्ष चला रहे है: उन्हें भी बिरादराना बधाई दी गई है जो आजादी, जनतन्त्र तथा समाजवाद के लिए फासिस्ट जेलों में अत्याचार झेल रहें हैं; साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहें उन बहादुर अफ्रीकावासियों का भी गर्मजोशि से अभिनंदन किया गया है उन्होंने निकारागुआ के खिलाफ अमरीकी हस्तक्षेप बन्द करने तथा ग्रेनाडा से अमरीकी सेनाएं हटाने की मांग करने के लिए दुनिया के लोगों का आह्वान किया है.

सभी देशों के सभी लोगों से शांति के पक्ष में शक्तिशाली आंदोलन में हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए सी पी एस यू ने अपील की है कि नाभिकीय युद्ध के खतरे को समाप्त करने तथा साम्राज्यवादियों के युद्ध साजिशों को दृढ़ता से बेनकाब करते हुए उन युद्ध विरोधी आंदोलनों को अधिक शक्तिशाली और व्यापक बनाएं.

शांति और अन्य लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की पहल सिर्फ समाजवादी व्यवस्था ही दिखा सकती है. सात नवम्बर के दिन हम सोवियत संघ की इस जबर्दस्त प्रतिरक्षात्मक शक्ति का सराहना करते है. विश्व शांति कायम रखने की उनके प्रयासों का हम सराहना करते हैं. सभी लोगों की स्वतंत्रता तथा समाजवादी उपलब्धियों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी चिंता का हम सराहना करते है. सीटू से सम्बद्ध सभी का यह अहम कर्तव्य ही जाता है कि वह पूरे तन-मन से शांति के इस संदेश को लोगो तक पहुचाएं तथा अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध साजिशों को शिकस्त देने के लिए उन्हें जागरूक करें. अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की यह मांग है कि भारत के मजदूरवर्ग, विश्वशांति को भंग करने, नाभिकीय युद्ध छेड़ने तथा समाजवाद को नष्ट करने की अमरीकी साम्राज्यवादी साजिशों को परास्त करने में, अगुवाई की भूमिका अदा करें.

उन्हें, लोगों को सचेत करना होगा कि अमरीकी युद्ध विमाने सिर्फ सोवियत संघ की ओर ही निशाने साधे बैठी नही है बल्कि दुनिया पर हाबी होने की तथा एशियाई, अफ्रीकी देशों को फिर से गुलामी के शिकंजे में जकरने की अमीरीकी हथियार है. विश्व शांति और गुट-निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले भारत के प्रति वैरतापूर्ण रवैया और पाकिस्तान को हथियारों से लेस कर भारत के खिलाफ उकसाना इसी मुहिम का ही हिस्सा है. शांति आंदोलनों की सफलता के साथ ही भारत की अपनी एकता और अखंडता का सवाल जुड़ा हुआ है.

(पृष्ठ 6 का शेष)

गिरफ्तारी की भर्त्सना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए जाने का भी फैसला लिया. [सचिवमंडल द्वारा 12 अक्टूबर को पारित किए गए प्रस्तावों को भी इसी अंक में प्रकाशित किया गया है]

दूसरे दिन, 29 अगस्त को बैठक को संबोधित करते हुए ज्योति बसु ने जनरल काउंसिल सदस्यों का आह्वान किया कि वह संयुक्त संघर्ष के अभियान को ग्राम मजदूरों तक ले जायं. सातवीं योजना के उद्देश्यपत्र के झूठ को बेनकाब करते हुए उन्होंने कहा कि पूंजीवादी नियोजन, गरीबी दूर नहीं कर सकता. केंद्र सरकार से प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार की 18 सूत्री मांगों के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह मांगें जनता के हित में है और मजदूर वर्ग को उनका प्रचार करना चाहिए.

अपने समापन भाषण में बी टी रणदिवे ने सीटू की एकता निर्माणकारी भूमिका की व्याख्या की और जनरल काउंसिल सदस्यों का आह्वान किया कि संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति को ठीक ढंग से लागू करते हुए इस काम को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाये. उन्होंने कहा कि ग्राम मजदूरों को वर्ग संघर्ष की राह पर लाने के लिए ट्रेड यूनियन एकता बहुत ही जरूरी है. इसके साथ ही सीटू यूनियनों को शांति के लिए अथक संघर्ष करना होगा और दुनिया को नाभिकीय युद्ध के कगार पर पहुंचा देनेवाले अमरीकी साम्राज्यवादियों को बेनकाब करना होगा. यही नहीं, मजदूर वर्ग को शांति के लिए सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के प्रयासों का समर्थन करना होगा और सामराजी साजिशों से समाजवादी उपलब्धियों को बचाना होगा.

इसके साथ ही मजदूर वर्ग को समझना होगा कि अगर उसने फूटपरस्त ताकतों का मुकाबला नहीं किया तथा सामराजी साजिशों को बेनकाब नहीं किया तो एकता के उसके सारे प्रयास निरर्थक हो जायेंगे. सीटू यूनियनें पूंजीवादी-भूस्वामी सरकार की नीतियों और फूटपरस्त ताकतों तथा साम्राज्यवादी हमलों के खिलाफ लड़कर ही अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है.

राज्य भर से आये हजारों मजदूरों के विशाल जुलुस तथा रैली के साथ बैठक का समापन हुआ. रैली को अन्य लोगों के अलावा बी टी रणदिवे, समर मुखर्जी तथा ज्योति बसू ने सम्बोधित किया.

का. एन. वी. भास्कर राव

सीटू की कार्यकारिणी सदस्य व आंध्र प्रदेश सीटू राज्य कमेटी के सचिव एवं सी पी आई (एम) हैदराबाद इकाई के सचिव का. एन. वी. भास्कर राव का 24 अक्तूबर को अचानक निधन पर सीटू अपनी गहरा शोक प्रकट करती है. मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष के निर्माण के लिए तथा सीटू को आगे बढ़ाने के लिए उनकी निष्ठा और त्याग को सीटू श्रद्धा के साथ याद करती है. सीटू दिवंगत नेता के शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना का इजहार करती है.